सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2018 / 00025(21 / 2018) दर्ज तिथिः–26.03.2018

1. दरियाकंवर पुत्री खेतसिंह पत्नी भीमसिंह
   जाति राजपुत निवासी हाल रामसर तहसील रामसर जिला बाड़मेर।
2. मोहनकंवर पुत्री खेतसिंह पत्नी वीरसिंह
   जाति राजपुत निवासी हाल मीठड़ा तहसील बाड़मेर।

.....वादीगण

बनाम

1. कमलसिंह पुत्र खेतसिंह
2. भंवरसिंह पुत्र खेतसिंह
3. दिलीपसिंह पुत्र खेतसिंह
4. सोहनसिंह पुत्र खेतसिंह
5. चन्द्रा बेवा खेतसिंह
6. राणसिंह पुत्र रूपसिंह
7. पदमसिंह पुत्र भोमसिंह
8. अमरसिह पुत्र बगतसिंह
9. मोडसिंह पुत्र बगतसिंह
10. चुनी बेवा बगतसिंह
    जाति राजपुत निवासी मुसलमानों की ढाणी, मंगले की बेरी।
11. उम्मेदाराम पुत्र गुलाराम
12. खेताराम पुत्र रावताराम
13. सुजाराम पुत्र रावताराम
14. मानाराम पुत्र रावताराम
15. लिछी पत्नी रावताराम
16. भैराराम पुत्र पदमाराम
17. केशाराम पुत्र पदमाराम
18. हीरों पत्नी पदमाराम
19. रावताराम पुत्र अणदाराम
    जाति जाट निवासी मुसलमानों की ढाणी, मंगले की बेरी।

.....असल प्रतिवादीगण

20. प्रबन्धक ओ.एन.जी.सी.एल.
21. शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा सड़ा तहसील सिणधरी
22. शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 शाखा गुड़ामालानी
23. शाखा प्रबन्धक दि बाड़मेर सैन्ट्रल कॉ–ऑपरेटिव बैंक शाखा गुड़ामालानी
24. तहसीलदार गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री जगदीश विश्नोई
प्रतिवादीः—श्री डालुराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—04.05.2026

1. आज यह पत्रावली दावा बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा—88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। हस्तगत वाद पत्र निणर्यन हेतु प्रकरण का सारतः सूक्ष्म विवरण इस प्रकार से हैः—
   1.1 कि वादीनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। वादीनीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 सगे भाई बहिन है तथा खेतसिंह की पत्नी प्रतिवादी संख्या 05 के जायंदा पुत्र—पुत्री है। उक्त हिन्दु परिवार का वंशवृक्ष निम्नानुसार है—

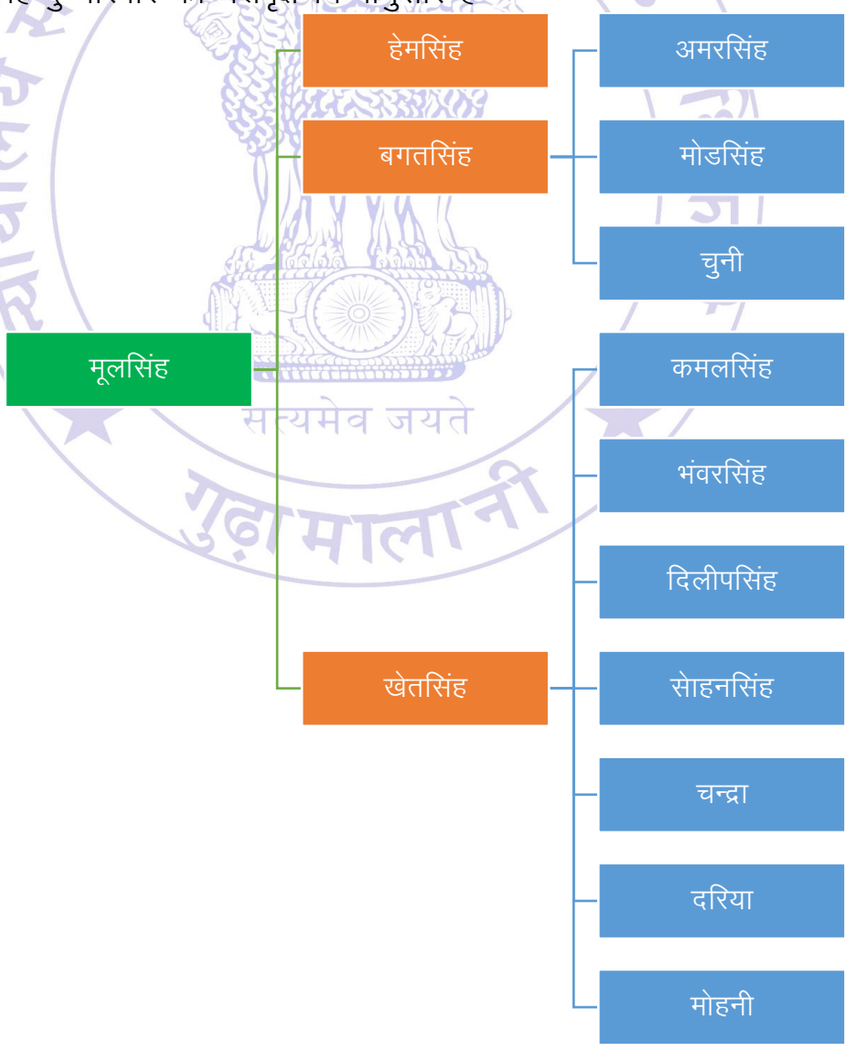

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

1.2 कि वादिनीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 10 का पैतृक संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 172 रकबा 264 बीघा (विभाजित खसरा संख्या 172/07–09 बीघा, 172/1/44 बीघा, 172/2/36–00 बीघा, 172/3/44 बीघा, 172/4/98–13 बीघा, 172/5/32–15 बीघा, 172/6/05 बिस्वा, 172/7/03 बिस्वा, 172/8/02 बिस्वा, 172/9/11 बिस्वा, 172/10/02 बिस्वा), खसरा संख्या 169/02 बिस्वा, 170/05 बिस्वा, 171/05 बिस्वा, 168/46–02 बीघा, 168/1/02 बिस्वा मौजा मुसलमानों की ढाणी पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है।

1.3 कि मुतनाजा आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के दादा मूलसिंह के 1/2 हिस्से की खुदकाश्त की खातेदारी थी। जिसका पर्चा लगान मूलसिंह के नाम हुआ। मुलसिंह के फौत होने पर फौतगी नामांतरकरण 636 व 637 के द्वारा विरासत में मुतनाजा आराजी बखतसिंह, खेतसिंह व हेमसिंह को प्राप्त हुई। इस प्रकार वादीनीगण के पिता खेतसिंह का मुतनाजा आराजी में 1/6 हिस्सा खातेदारी में दर्ज था।

1.4 कि वादीनीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 4 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 05 के पति खेतसिंह के फौत हो जाने पर विरासत का नामान्तरण केवल प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के नाम से पारित किया गया। जबकि वादिनीगण उक्त आराजी में सहखातेदार होने के बावजूद वादीनीगण का नामान्तरण दर्ज नहीं किया गया। वादिनीगण अनपढ़ ग्रामीण परिवेश की महिला होने के कारण वादिनीगण यह समझती आई कि पिता के फौत होने पर भाईयों की तरह अपनी भी खातेदारी दर्ज हो गई। वादीनीगण द्वारा ऋण प्राप्त करने हेतु पटवारी से जमाबंदी प्राप्त करने पर उक्त बात की जानकारी हुई। इस प्रकार वादिनीगण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 के अनुसार खेतसिंह की विधिक वारिसान होने के राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज करवाने की अधिकारी है।

1.5 कि वादीनीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के दादा मूलसिंह के 1/2 हिस्से में वादीनीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के पिता खेतसिंह का 1/3 हिस्सा अर्थात कुल आराजी में से 1/6 हिस्सा में से वादीनीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 प्रत्येक का बहिस्सा 1/7–1/7 अर्थात कुल आराजी का 1/42–1/42 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है एवं इसी अनुसार निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है।

1.6 प्रतिवादी संख्या 01 से 05 ने मुतनाजा आराजी को खुर्द बुर्द करने की नियत से वादिनीगण को बिना जानकारी दिये अपने नाम से दर्ज गलत हिस्से की भूमि को अपने वास्तविक 1/42 हिस्से से अधिक आराजी का बेचान प्रतिवादी संख्या 11 से 19 को कर दिया। जिसे प्रतिवादी संख्या 01 से 05 को कोई अधिकार नहीं होने से उक्त बेचान को वादीनीगण के हक हिस्से तक प्रारम्भ से ही शुन्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जावे।

1.7 कि प्रतिवादी संख्या 01 से 19 वादिनीगण के 1/42–1/42 हिस्से की भूमि से वादिनीगण को बेदखल करने पर उतारू हैं साथ ही वादीनीगण के हक हिस्से की भूमि में दखलअंदाजी व हस्तक्षेप करते आ रहे है। इस प्रकार प्रतिवादीगण के विरूद्ध मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने एवं

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

किसी प्रकार की वादिनीगण को हस्तक्षेप नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

1.8 कि वादीगण के उक्त आधारों पर निम्न अनुतोष निवेदित हैः—

1.8.1. वादिनीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 10 का पैतृक संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 172 रकबा 264 बीघा (विभाजित खसरा संख्या 172/07—09 बीघा, 172/1/44 बीघा, 172/2/36—00 बीघा, 172/3/44 बीघा, 172/4/98—13 बीघा, 172/5/32—15 बीघा, 172/6/05 बिस्वा, 172/7/03 बिस्वा, 172/8/02 बिस्वा, 172/9/11 बिस्वा, 172/10/02 बिस्वा), खसरा संख्या 169/02 बिस्वा, 170/05 बिस्वा, 171/05 बिस्वा, 168/46—02 बीघा, 168/1/02 बिस्वा मौजा मुसलमानों की ढाणी पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील गुड़ामालानी में वादीनीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 प्रत्येक का बहिस्सा 1/42—1/42 खातेदारी घोषणा की जावे।

1.8.2. प्रतिवादी संख्या 01 से 05 ने मुतनाजा आराजी में से 1/42—1/42 हिस्से से अधिक प्रतिवादी संख्या 11 से 19 को किया गया बेचान को वादीनीगण के हक हिस्से तक प्रारम्भ से ही शुन्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जावे।

1.8.3. वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

1.8.4. अन्य अनुतोष।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 7, 15, 19 असालतन—वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। शेष अनुपस्थित प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 19 जरिये अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए निम्न प्रकार निवेदन कियाः—

- कि वादिनीगण, खेतसिंह की वारिसान नहीं है एवं वाद में जो सजरा बताया गया है वह गलत है। वादिनीगण, खेतसिंह की वारिसान नहीं होने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—8 के तहत उत्तराधिकार की घोषणा करने का अधिकार वादिनीगण को नहीं है।
- कि वादग्रस्त आराजी वादिनीगण की संयुक्त खातेदारी एवं पैतृक नहीं है एवं ना ही वादिनीगण का उक्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी में से प्रतिवादी संख्या 01 से 05 ने प्रतिवादी संख्या 19 से प्रतिफल प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 09 के पक्ष में 36 बीघा भूमि का बेचान निष्पादित करवाया।
- प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के पिता व प्रतिवादी संख्या 05 के पति खेतसिंह का देहांत सन 1985 में हो गया था। खेतसिंह की फौतगी के नामान्तरण संख्या 34 को वादिनीगण द्वारा आज दिनांक तक चुनौती नहीं दी गई। यदि वादिनीगण खेतसिंह की वारिस होती तो नामान्तरण की अपील करती। इस प्रकार वादिनीगण खेतसिंह की वारिसान नहीं है। वादिनीगण द्वारा खेतसिंह की वारिसान होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। इस प्रकार खेतसिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 से 05 ही है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

- कि वादिनीगण अपने आपको खेतसिंह की वारिसान सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा घोषित नहीं करवाकर वादग्रस्त जमीन में हिस्से की मांग नहीं कर सकने के कारण दावा चलने योग्य नहीं होने से काबिले खारिज है। बेचान दस्तावेज को श्रीमान न्यायालय को शुन्य व निष्प्रभावी करने का अधिकार नहीं होने से वादिनीगण बेचाननामा को शुन्य व निष्प्रभावी की मांग हाजा न्यायालय को नही कर सकती।
- कि वादिनीगण का उक्त वादग्रस्त आराजी की खातेदार नहीं है और न ही वादिनीगण का कब्जा रहा है। कब्जे के अभावा में वादिनीगण, प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।
- कि प्रतिवादी संख्या 01 से 05 द्वारा प्रतिवादी संख्या 19 को 36 बीघा भूमि को बेचान किया गया। तत्पश्चात सहखातेदारों ने आपसी सहमति से तहसीलदार को भूमि का विभाजन किये जाने का निवेदन करने पर प्रतिवादी संख्या 19 को खसरा संख्या 172/2 रकबा 36–00 बीघा दर्ज किया गया।
- कि खसरा संख्या 172/2 पर प्रतिवादी संख्या 19 का पिछले 25 वर्षों से अधिक समय तक बिना रोक–टोक कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार कब्जे के आधार पर वादीनीगण के अधिकार धारा–63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा–27 परिसीमा अधिनियम के तहत समाप्त होकर प्रतिवादी संख्या 19 में निहित हो गए है।
- कि प्रतिवादी संख्या 19 जरिये पंजीबद्ध बयनामा खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अतः जब तक पंजीबद्ध बयनामा अस्तित्व में है तब तक राजस्व न्यायालय में दावा नहीं चल सकता है।
- कि प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का वादग्रस्त आराजी में जन्म से ही अधिकार निहित हो गए थे। खेतसिंह का 1/5 हिस्सा खेतसिंह के फौत होने पर उनके वारिसों को मिलेगा। यदि वादिनीगण खेतसिंह की उत्तराधिकारी सिद्ध होती है तो भी वादीनीगण को खेतसिंह के हिस्से में से 1/35–1/35 हिस्सा प्राप्त होगा तथा 33/35 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 से 05 का बनता है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 19 को बेचान का रकबा अप्रभावित रहता है।

3. प्रकरण में वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाबदावा के पश्चात् पत्रावली पर निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गयेः–

    1. आया वादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत विधिक वारिश होने के आधार पर मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है।

    .....वादी

    2. आया वादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत विधिक वारिश होने के आधार पर मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 द्वारा अपने हिस्से अधिक आराजी को प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 19 को किये गये बेचान के पंजीकृत दस्तावेज को वादीगण के हक हिस्से तक आरंभ से ही शून्य व निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है।

    .....वादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

3. आया वादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत विधिक वारिश होने के आधार पर मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के आधार पर विरूद्ध प्रतिवादी मुताबिक वादपत्र वर्णित अनुतोष स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

.....वादी

4. आया दावा वादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत विधिक वारिश नहीं होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष पोषणीय नहीं होने तथा आराजी पर प्रतिवादी का सालिम कब्जा होने के कारण स्थायी निषेधाज्ञा का प्रकरण नहीं बनने के कारण काबिल–ए–खारिज है।

.....प्रतिवादी संख्या 19

5. आया प्रतिवादी संख्या 19 को किये गये बेचान का पंजीकृत दस्तावेज के प्रभाव में रहने के कारण वादीगण को खातेदारी अधिकार का दावा का श्रवण अधिकार न्यायालय को नहीं होने के कारण दावा काबिल–ए–खारिज है।

.....प्रतिवादी संख्या 19

6. आया मुतनाजा आराजी में वादीगण के पिता की मृत्यु से पूर्व प्राप्त 1/5 हिस्से में से वादीगण का 2/35 हिस्सा प्राप्त होने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 19 को किये गये बेचान का पंजीकृत दस्तावेज में उल्लेखित रकबे पर कोई प्रभाव नहीं पडने के कारण प्रतिवादी संख्या 19 का हिस्सा अप्रभावित है।

.....प्रतिवादी संख्या 19

7. अन्य दादरसी

4. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए–

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	ग्राम मुसलमानों की ढाणी खसरा संख्या 172	प्रदर्शपी–01
जमाबंदी	ग्राम मुसलमानों की ढाणी खसरा संख्या 172/1	प्रदर्शपी–02
जमाबंदी	ग्राम मुसलमानों की ढाणी खसरा संख्या 172/2	प्रदर्शपी–03
जमाबंदी	ग्राम मुसलमानों की ढाणी खसरा संख्या 172/3	प्रदर्शपी–04
जमाबंदी	ग्राम मुसलमानों की ढाणी खाता संख्या 34	प्रदर्शपी–05
जमाबंदी	ग्राम मुसलमानों की ढाणी खसरा संख्या 172/5	प्रदर्शपी–06
जमाबंदी	ग्राम मुसलमानों की ढाणी खसरा संख्या 168	प्रदर्शपी–07
जमाबंदी	ग्राम मुसलमानों की ढाणी खाता संख्या 44	प्रदर्शपी–08
नक्शा ट्रेस	मौजा मुसलमानों की ढाणी	प्रदर्शपी–09
नक्शा ट्रेस	मौजा मुसलमानों की ढाणी	प्रदर्शपी–10
नामान्तरकरण	नामांतरकरण संख्या 34 ग्राम रावलीनाडी	प्रदर्शपी–11
नामान्तरकरण	नामांतरकरण संख्या 75 ग्राम रावलीनाडी	प्रदर्शपी–12
नामान्तरकरण	नामांतरकरण संख्या 633 ग्राम नगर	प्रदर्शपी–13
सेटलमेंट	भू–प्रबंध सेटलमेंट खतौनी बंदोबस्त ग्राम नगर	प्रदर्शपी–14

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

खतौनी	खतौनी बंदोबस्त ग्राम नगर	प्रदर्शपी–15

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी	गवाह
दरिया कंवर पुत्री खेतसिंह पत्नी भीमसिंह	राजपुत	रामसर, तहसील रामसर	पी0डब्ल्यू0–1
मोहन कंवर पुत्री खेतसिंह पत्नी वीरसिंह	राजपुत	मीठड़ा तहसील बाड़मेर	पी0डब्ल्यू0–2
पुनमाराम पुत्र छगनाराम	रावणा राजपुत	धांधलावास	पी0डब्ल्यू0–03
महेन्द्रसिंह पुत्र उदाराम	रावणा राजपुत	धांधलावास	पी0डब्ल्यू0–04
वीरसिंह पुत्र बलवंतसिंह	राजपुत	केलाणियों की ढाणी	पी0डब्ल्यू–05

6. प्रकरण में दरिया कंवर पुत्री खेतसिंह पत्नी भीमसिंह पी.डब्ल्यू.–01, मोहन कंवर पुत्री खेतसिंह पत्नी वीरसिंह पी0डब्ल्यू0–2, पुनमाराम पुत्र छगनाराम पी0डब्ल्यू0–3, महेन्द्रसिंह पुत्र उदाराम पी0डब्ल्यू–04, वीरसिंह पुत्र बलवंतसिंह पी0 डब्ल्यू–05 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये–

- कि वादीनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। वादीनीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 सगे भाई बहिन है तथा खेतसिंह की पत्नी प्रतिवादी संख्या 05 के जायंदा पुत्र–पुत्री है।
- कि वादिनीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 10 का पैतृक संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 172 रकबा 264 बीघा (विभाजित खसरा संख्या 172/07–09 बीघा, 172/1/44 बीघा, 172/2/36–00 बीघा, 172/3/44 बीघा, 172/4/98–13 बीघा, 172/5/32–15 बीघा, 172/6/05 बिस्वा, 172/7/03 बिस्वा, 172/8/02 बिस्वा, 172/9/11 बिस्वा, 172/10/02 बिस्वा), खसरा संख्या 169/02 बिस्वा, 170/05 बिस्वा, 171/05 बिस्वा, 168/46–02 बीघा, 168/1/02 बिस्वा मौजा मुसलमानों की ढाणी पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है।
- कि मुतनाजा आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के दादा मूलसिंह के 1/2 हिस्से की खुदकाश्त की खातेदारी थी। जिसका पर्चा लगान मूलसिंह के नाम हुआ। मुलसिंह के फौत होने पर विरासत में मुतनाजा आराजी बखतसिंह, खेतसिंह व हेमसिंह को प्राप्त हुई। इस प्रकार वादीनीगण के पिता खेतसिंह का मुतनाजा आराजी में 1/6 हिस्सा खातेदारी में दर्ज था।
- कि वादीनीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 4 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 05 के पति खेतसिंह के फौत हो जाने पर विरासत का नामान्तरण प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के नाम से पारित किया गया। जबकि वादिनीगण उक्त आराजी में सहखातेदार होने के बावजूद वादीनीगण का नामान्तरण दर्ज नहीं किया गया। वादिनीगण अनपढ़ ग्रामीण परिवेश की महिला होने के कारण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

वादिनीगण यह समझती आई कि पिता के फौत होने पर भाईयों की तरह अपनी भी खातेदारी दर्ज हो गई। वादीनीगण द्वारा ऋण प्राप्त करने हेतु पटवारी से जमाबंदी प्राप्त करने पर उक्त बात की जानकारी हुई। इस प्रकार वादिनीगण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 के अनुसार खेतसिंह की विधिक वारिसान होने के राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज करवाने की अधिकारी है।

- कि वादीनीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के दादा मूलसिंह के 1/2 हिस्से में वादीनीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के पिता खेतसिंह का 1/3 हिस्सा अर्थात कुल आराजी में से 1/6 हिस्सा में से वादीनीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 प्रत्येक का बहिस्सा 1/7–1/7 अर्थात कुल आराजी का 1/42–1/42 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है एवं इसी अनुसार निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है।
- प्रतिवादी संख्या 01 से 05 ने मुतनाजा आराजी को खुर्द बुर्द करने की नियत से वादिनीगण को बिना जानकारी दिये अपने नाम से दर्ज गलत हिस्से की भूमि को अपने वास्तविक 1/42 हिस्से से अधिक आराजी का बेचान प्रतिवादी संख्या 11 से 19 को कर दिया। जिसे प्रतिवादी संख्या 01 से 05 को कोई अधिकार नहीं होने से उक्त बेचान को वादीनीगण के हक हिस्से तक प्रारम्भ से ही शुन्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जावे।
- कि प्रतिवादी संख्या 01 से 19 वादिनीगण के 1/42–1/42 हिस्से की भूमि से वादिनीगण को बेदखल करने पर उतारू हैं साथ ही वादीनीगण के हक हिस्से की भूमि में दखलअंदाजी व हस्तक्षेप करते आ रहे है। इस प्रकार प्रतिवादीगण के विरूद्ध मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने एवं किसी प्रकार की वादिनीगण को हस्तक्षेप नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।
- कि वादीगण के उक्त आधारों पर निम्न अनुतोष निवेदित हैः–
    - वादिनीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 10 का पैतृक संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 172 रकबा 264 बीघा (विभाजित खसरा संख्या 172/07–09 बीघा, 172/1/44 बीघा, 172/2/36–00 बीघा, 172/3/44 बीघा, 172/4/98–13 बीघा, 172/5/32–15 बीघा, 172/6/05 बिस्वा, 172/7/03 बिस्वा, 172/8/02 बिस्वा, 172/9/11 बिस्वा, 172/10/02 बिस्वा), खसरा संख्या 169/02 बिस्वा, 170/05 बिस्वा, 171/05 बिस्वा, 168/46–02 बीघा, 168/1/02 बिस्वा मौजा मुसलमानों की ढाणी पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील गुड़ामालानी में वादीनीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 प्रत्येक का बहिस्सा 1/42–1/42 खातेदारी घोषणा की जावे।
    - प्रतिवादी संख्या 01 से 05 ने मुतनाजा आराजी में से 1/42–1/42 हिस्से से अधिक प्रतिवादी संख्या 11 से 19 को किया गया बेचान को वादीनीगण के हक हिस्से तक प्रारम्भ से ही शुन्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जावे।
    - वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।
    - अन्य अनुतोष।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

- इस संबंध में पैरा संख्या 04 के अनुसार प्रदर्श अंकित किये गय

7. प्रकरण में पी.डब्ल्यू.–01 दरिया कंवर पुत्री खेतसिंह पत्नी भीमसिंह ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में रूप से अभिकथन किया कि मै 8–9 साल की थी तब मेरा विवाह हो गया। विवाह करते ही मै मेरे ससुराल चली गई। मेरा ससुराल रामसर मे है। मेरा घर रामसर मे एचपी गैस ऐजेंसी के पास में है। मेरे ससुर जी जिंदा नहीं है। रामसर में जमीन मेरे पति के नाम से है। यह बात सही है कि खेत सिंह का स्वर्गवास 1995 में हुआ था। मुझे पता नहीं है कि कमलसिंह, दिलीप सिंह, सोहन सिंह व चन्द्रा ने भूमि का बेचान रावता पुत्र अनदा को किया। यह बात झूठी है कि दावा वकील साहब ने लिखवाया है, अज खुद कहा कि दावा मैने लिखवाया। यह बात सही है कि दावा जैसे मैने कहा वैसा लिखा रावता अणदा को मैने पार्टी बनाने को कहा। रावता से जमीन हम नहीं मांगते है, हम हमारे बाप की जमीन मांगते हैं। उक्त खेत के खसरा नं. 164, 172 है। मै पढी लिखी नहीं हु, मुझे खसरा नं. याद नहीं है। यह बात सही है कि शपथ पत्र का भाग ए से बी वकील साहब ने लिखा है। पैरा नं. 02 के भाग सी से डी पर सहदायकी शब्द लिखा है जो मुझै ध्यान नहीं है , वकील साहब ने लिखा है। यह बात सही है कि खेत सिंह फोत हुए, खोले गए नामांतरण की संख्या मुझे याद नहीं है। यह बात सही है कि शपथ पत्र के पैरा 02 में नामांतरण संख्या 34/1995 लिखी हुई है वह वकील साहब ने लिखवाई है। मैने रावताराम की रजिस्ट्री खारिज का दावा नहीं किया है। मै मेरे पीहर में आवा जाव नहीं हैं न ही मै कभी पीहर आई, अज खुद कहा कि खेत आती हूं। पत्रावली में प्रदर्श 09 पर प्रदर्शित खसरा नं. 172/2 जमीन किसकी है मुझे पता नही हैं। यह बात सही EXP यह बात सही है कि EXP-3 ,मेरी पेश कि हुई नही है। EXP-3 मेने वकील साहब को लाकर दि ओर वकील साहब ने पेश कि। यह बात सही है कि विवादीत जमीन पास पास आई हुई है। यह बात सही है कि खेतसिह व खेतसिह के भाईओं सन 1995 से पूर्व आपस मे बटवाडा किया हुआ था। यह बात गलत है कि रावता व अणदा को हमने मना किया हो अज खुद कहा कि मेने दो बार काश्त करने हेतु मना किया था। हमने रावता को काश्त करने को मना पांच व छ साल पूर्व मना किया था। यह बात सही है कि पांच छ साल पहले हमने रावता अणदा को काश्त करने से मना नही किया। मे स्कूल नही गई हुई हू। यह बात सही है कि में तहसील गुडामालानी मे नकल लेने हेतु आई थी। यह बात सही है कि मे नकल लेने के लिए जोधपूर गई थी यह बात सही है मे अजमेर नकल लेने गई थी। अजमेर से कोनसी नकल लेके आई मुझे पता नही। अजमेर से नकल लाई वो मेने पत्रावली मे नही लगाई। जोधपुर से नकल लाई वो नकल पत्रावली मे नही लगाई। बाडमेर से नकल मे स्वयं लेकर आई। वह पत्रावली में कौनसी नकल है व बता नही सकती है। जो साक्ष्य शपथ पत्र पेश व वकील साहब से लिखवाया। साक्ष्य शपथ पत्र के भाग ई से एफ मेने लिखवाया था। जो मेने साक्ष्य शपथ पत्र ई से एफ पूर्व से ही मुझे जानकारी थी। यह बात गलत है कि जमीन कमलसिंह वगैरा ने बैचान कर दी हो अब कमलसिह कि नियत मे खोट आने से दावा पेश किया हो।

8. प्रकरण में पी0डब्ल्यू0–2 मोहन कंवर पुत्री खेतसिंह पत्नी वीरसिंह ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में रूप से अभिकथन किया कि मै 8–9 साल की थी तब मेरा विवाह हो गया। विवाह करते ही मै मेरे ससुराल चली गई । मेरा ससुराल

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

मीठडा मे है। मेरा घर मीठडा मे मेरे ससुर जी जिंदा नहीं है। मीठडा में जमीन मेरे पति के नाम से है। यह बात सही है कि खेत सिंह का स्वर्गवास 1995 में हुआ था। मुझे पता नहीं है कि कमलसिंह, दिलीप सिंह, सोहन सिंह व चन्द्रा ने भूमि का बेचान रावता पुत्र अनदा को किया। यह बात झूठी है कि दावा वकील साहब ने लिखवाया है, अज खुद कहा कि दावा मैने लिखवाया। यह बात सही है कि दावा जैसे मैने कहा वैसा लिखा रावता अणदा को मैने पार्टी बनाने को कहा। रावता से जमीन हम नहीं मांगते है, हम हमारे बाप की जमीन मांगते हैं। उक्त खेत के खसरा नं. 164, 172 है। मै पढी लिखी नहीं हु, मुझे खसरा नं. याद नहीं है। यह बात सही है कि शपथ पत्र का भाग ए से बी वकील साहब ने लिखा है। पैरा नं. 02 के भाग सी से डी पर सहदायकी शब्द लिखा है जो मुझै ध्यान नहीं है , वकील साहब ने लिखा है। यह बात सही है कि खेत सिंह फोत हुए , खोले गए नामांतरण की संख्या मुझे याद नहीं है। यह बात सही है कि शपथ पत्र के पैरा 02 में नामांतरण संख्या 34/1995 लिखी हुई है वह वकील साहब ने लिखवाई है। मैने रावताराम की रजिस्ट्री खारिज का दावा नहीं किया है। मै मेरे पीहर में आवा जाव नहीं हैं न ही मै कभी पीहर आई, अज खुद कहा कि खेत आती हूं। पत्रावली में प्रदर्श 09 पर प्रदर्शित खसरा नं. 172/2 जमीन किसकी है मुझे पता नही हैं। यह बात सही EXP यह बात सही है कि EXP-3 ,मेरी पेश कि हुई नही है। EXP-3 मेने वकील साहब को लाकर दि ओर वकील साहब ने पेश कि। यह बात सही है कि विवादीत जमीन पास पास आई हुई है। यह बात सही है कि खेतसिह व खेतसिह के भाईओं सन 1995 से पूर्व आपस मे बटवाडा किया हुआ था। यह बात गलत है कि रावता व अणदा को हमने मना किया हो अज खुद कहा कि मेने दो बार काश्त करने हेतु मना किया था। हमने रावता को काश्त करने को मना पांच व छ साल पूर्व मना किया था। यह बात सही है कि पांच छ साल पहले हमने रावता अणदा को काश्त करने से मना नही किया। मे स्कूल नही गई हुई हू। यह बात गलत है कि जमीन कमलसिंह वगैरा ने बैचान कर दी हो अब कमलसिह कि नियत मे खोट आने से दावा पेश किया हो।

9. प्रकरण में पी0डब्ल्यू0–3 पुनमाराम पुत्र छगनाराम ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में रूप से अभिकथन किया कि मेरा नाम पुनमसिंह है। मैं धांधलावास का निवासी हूं। विवादित जमीन हमारे घर से 6 किमी. दूर है। हेमसिंह और इनके दो भाई ओर है। जिनका नाम खेतसिंह, दुसरे का नाम मुझे याद नहीं। यह बात सही है कि हेमसिंह वगैरा जाति से राजपुत है। मुझे याद तो रहता है लेकिन भूल भी जाता हूं। रावते को जमीन बेचे 6–7 साल हो गए है। मुझे पुरा पक्का ध्यान है कि रावताराम को जमीन बेचे 6–7 साल हो गए है। यह बात सही है कि कमलसिंह, भंवरसिंह, दिलीपसिह, सोहनसिंह पिसरान खेतसिंह, चन्द्रा बेवा खेतसिंह ने रावताराम को भूमि का बेचान किया। रावताराम को कमलसिंह वगैरा ने कितना बीघा जमीन बेची मुझे ध्यान नहीं। यह बात सही है कि कमलसिंह वगैरा ने भूमि का बेचान किया वह सही तारीख का याद नहीं है। यह बात सही है कि 1999 में भूमि का बेचान किया जिसको करीबन 26 साल हो गए है। यह बात गलत है कि रावताराम विवादित जमीन में झोपड़ी बनाकर रहता हों। रावताराम की जमीन का अब बटवांडा करवाया हुआ है या नही मुझे पता नहीं। खेतसिंह के हिस्से में कितनी जमीन आती है मुझे पता नही अज खुद कहा कि 172 बीघा जमीन है। खेतसिंह की मृत्यु करीबन 30–35 साल हुए है। यह बात सही है कि खेतसिंह व कमलसिह

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

के बीच विवाद कब हुआ मुझे पता नहीं। यह बात सही है कि रावताराम व कमलसिंह वगैरा का आपस में जमीन का विवाद है। यह बात सही है कि रावताराम और कमलसिंह के आपस में विवाद होने के बाद दरिया कवंर ने दावा किया। अज खुद कहा कि मेरे हिस्से कि जमीन आपने क्यू बेचीं। मोहन कवंर को मैं जानता हूं लेकिन इनका ससुराल कहा है वो मुझे पता नहीं। दरिया कंवर का ससुराल कहा है मुझे पता नहीं। यह बात सही है कि कमलसिंह वगैरा ने रावताराम को रजिस्ट्री तब मैं साथ में नहीं था। कमलसिंह वगैरा ने जमीन का बेचान किया तब कितने रूपये लिये मुझे पता नही। खेतसिंह फौत हुए तब उनके वारिसानों के नाम खोले गए नामान्तरणकरण की संख्या कितनी है मुझे पता नहीं। खेतसिंह के फौतेतगी का नामान्तरण कब खोला गया इस बात का भी मुझे पता नहीं। दरिया कवंर की शादी कब की मुझे ध्यान नहीं। मोहनकवंर की कब शादी हुई मुझे पता नहीं। शपथ पत्र में नामान्तरणकरण संख्या 34 लिखवाया वो लड़कियों ने लिखवाया होगा। यह बात झूठी है कि मेरे साथ आज कमलसिह आए हो। अज खुद कहा कि मैं अकेला आया हूं। मुझे कमलसिंह की बहिन ने फोन कर आज की पेशी तारीख बताई। मोहन कंवर ने मुझे कर बताया कि आज पेशी तारीख है। भूमि की पैमाईश हुई तब हेमसिंह व उसके भाईयों के नाम दर्ज हुई थी।

10. प्रकरण में पी0डब्ल्यू–04 महेन्द्रसिंह पुत्र उदाराम ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में रूप से अभिकथन किया कि मैं आठवी कक्षा तक पढ़ा हुआ हुं। मेरा गांव धांधलावास है। कमलसिंह वगैरा ने रावताराम को जमीन बेचान की। यह बेचान सन 1999 में की थी। बेचना जमीन 36 बीघा थी। रावताराम कम ज्यादा जमीन पर काश्त करता हो तो पता नहीं बेचान 36 बीघा की थी। दरियाकंवर का ससुराल रामसर है और मोहन कंवर का ससुराल मीठड़ा है। खेतसिंह की मृत्यु कब हुई मुझे याद नहीं। कमलसिंह व अन्य तीन भाई है। कमलसिंह के माता का नाम चन्द्रा कंवर है। यह बात सही है कि भंवरसिंह, दिलीपसिंह व सोहनसिंह जब छोटे थे तब उनके पिताजी चले गए थे। इनका पालन पोषण इनकी माता चन्दा कंवर ने ही किया था।

11. प्रकरण में पी0 डब्ल्यू–05 वीरसिंह पुत्र बलवंतसिंह ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में रूप से अभिकथन किया कि मेरा गांव मीठड़ा है। विवादित जमीन के खसरा नं. मुझे याद नहीं है। अज खुद कहा कि अनपढ़ होने की वजह से याद नहीं है। मोहन कंवर मेरी पत्नी है। कमलसिंह वगैरा ने रावताराम पुत्र अणदाराम को 36 बीघा जमीन बेची है। अज खुद कहा कि ऐसा कह रहे है और कब्जा अपना है। कमलसिंह और तीन अन्य भाई है। कमलसिंह की माता का नाम चन्द्रकंवर है। कमलसिंह के पिताजी, भंवरसिंह, दिलीपसिंह, सोहनसिंह छोटे थे तभी फौत हो गए थे। यह बात सही है कि भंवरसिंह, दिलीपसिंह, सोहनसिंह का पालन पोषण चंन्द्राकवंर ने किया।

12. प्रकरण में वादीगण साक्ष्य के पश्चात् पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित करवाये गये।

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरण	नामान्तरण संख्या 163 मौजा रावलीनाडी	प्रदर्शडी–01
बेचान दस्तावेज	बेचान दस्तावेज संख्या 295/99 की प्रति	प्रदर्शडी–02ए
कार्यालय तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश क्रमांक/राजस्व/2013/1499–1501 द्वारा ग्राम मुसलमानों की ढाणी के खसरा संख्या 172/2 में समर्पित भूमि के आदेश की प्रति		प्रदर्शडी–03
नक्शा	खसरा संख्या 172/2 ग्राम मुसलमानों की ढाणी समर्पण हेतु प्रस्तावित भूमि का नक्शा	प्रदर्शडी–04
जमाबंदी	ग्राम मुसलमानों की ढाणी खाता खसरा संख्या 172/2 संवत 2072 से 2075	प्रदर्शडी–05
नक्शा	ग्राम मुसलमानों की ढाणी खाता खसरा संख्या 172/2	प्रदर्शडी–06
निर्णय प्रति	राजस्व वाद संख्या 192/2000 अनवान राणसिंह बनाम बगतसिंह में पारित निर्णय व आदेशिका की प्रमाणित प्रति पेज 1 से 17	प्रदर्शडी–07

13. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी	गवाह
रावताराम पुत्र अणदाराम	जाट	मुसलमानों की ढाणी	डी0डब्ल्यू0–01
भारताराम पुत्र अणदाराम	जाट	नेहरावास तहसील गुड़ामालानी	डी0डब्ल्यू0–02
दमाराम पुत्र ताजाराम	जाट	नेहरावास	डी0डब्ल्यू0–03

14. प्रकरण में डी0डब्ल्यू0–01 रावताराम पुत्र अणदाराम, डी0डब्ल्यू–02 भारताराम पुत्र अणदाराम, डी0 डब्ल्यू–03 दमाराम पुत्र ताजाराम द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये–

- कि वादिनीगण, खेतसिंह की वारिसान नहीं है एवं वाद में जो सजरा बताया गया है वह गलत है। वादिनीगण, खेतसिंह की वारिसान नहीं होने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–8 के तहत उत्तराधिकार की घोषणा करने का अधिकार वादिनीगण को नहीं है।
- कि वादग्रस्त आराजी वादिनीगण की संयुक्त खातेदारी एवं पैतृक नहीं है एवं ना ही वादिनीगण का उक्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी में से प्रतिवादी संख्या 01 से 05 ने प्रतिवादी संख्या 19 से प्रतिफल प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 09 के पक्ष में 36 बीघा भूमि का बेचान निष्पादित करवाया।
- प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के पिता व प्रतिवादी संख्या 05 के पति खेतसिंह का देहांत सन 1985 में हो गया था। खेतसिंह की फौतगी के नामान्तरण संख्या 34 को वादिनीगण द्वारा आज दिनांक तक चुनौती नहीं दी गई। यदि वादिनीगण खेतसिंह की वारिस होती तो नामान्तरण की अपील करती। इस

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रकार वादिनीगण खेतसिंह की वारिसान नहीं है। वादिनीगण द्वारा खेतसिंह की वारिसान होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। इस प्रकार खेतसिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 से 05 ही है।

- कि वादिनीगण अपने आपको खेतसिंह की वारिसान सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा घोषित नहीं करवाकर वादग्रस्त जमीन में हिस्से की मांग नहीं कर सकने के कारण दावा चलने योग्य नहीं होने से काबिले खारिज है। बेचान दस्तावेज को श्रीमान न्यायालय को शुन्य व निष्प्रभावी करने का अधिकार नहीं होने से वादिनीगण बेचाननामा को शुन्य व निष्प्रभावी की मांग हाजा न्यायालय को नही कर सकती।
- कि वादिनीगण का उक्त वादग्रस्त आराजी की खातेदार नहीं है और न ही वादिनीगण का कब्जा रहा है। कब्जे के अभावा में वादिनीगण, प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।
- कि प्रतिवादी संख्या 01 से 05 द्वारा प्रतिवादी संख्या 19 को 36 बीघा भूमि को बेचान किया गया। तत्पश्चात सहखातेदारों ने आपसी सहमति से तहसीलदार को भूमि का विभाजन किये जाने का निवेदन करने पर प्रतिवादी संख्या 19 को खसरा संख्या 172/2 रकबा 36–00 बीघा दर्ज किया गया।
- कि खसरा संख्या 172/2 पर प्रतिवादी संख्या 19 का पिछले 25 वर्षों से अधिक समय तक बिना रोक–टोक कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार कब्जे के आधार पर वादीनीगण के अधिकार धारा–63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा–27 परिसीमा अधिनियम के तहत समाप्त होकर प्रतिवादी संख्या 19 में निहित हो गए है।
- कि प्रतिवादी संख्या 19 जरिये पंजीबद्ध बयनामा खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अतः जब तक पंजीबद्ध बयनामा अस्तित्व में है तब तक राजस्व न्यायालय में दावा नहीं चल सकता है।
- कि प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का वादग्रस्त आराजी में जन्म से ही अधिकार निहित हो गए थे। खेतसिंह का 1/5 हिस्सा खेतसिंह के फौत होने पर उनके वारिसों को मिलेगा। यदि वादिनीगण खेतसिंह की उत्तराधिकारी सिद्ध होती है तो भी वादीनीगण को खेतसिंह के हिस्से में से 1/35–1/35 हिस्सा प्राप्त होगा तथा 33/35 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 से 05 का बनता है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 19 को बेचान का रकबा अप्रभावित रहता है।
- जिसके संबंध में प्रतिवादीगण ने पैरा संख्या 12 में प्रस्तुत दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित करवाए।

15. प्रकरण में डी0डब्ल्यू0–01 रावताराम पुत्र अणदाराम से वादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि मैं आठवी तक पढा–लिखा हुं। मेरा गांव नेहरों का वास है। मेरी उम्र 62 वर्ष है। खेतसिह मेरे पड़ौसी नहीं है। खेतसिह तीन भाई थे। खेतसिह मूलसिंह के पुत्र थे। खेतसिह कब फौत हुए मुझे पता नहीं है। यह बात झूठी है कि खेतसिह के 4 पुत्र 2 पुत्रिया हो। खेतसिह की पत्नि का नाम चन्द्रा है। खेतसिह की सबसे बड़ी पुत्री दरिया कंवर हो तो मैने दरिया कंवर को नहीं देखा। दरिया कंवर की शादी रामसर की हो तो मुझे पता नहीं है। मोहन कंवर का

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

ससुराल मिठडा हो तो मुझे पता नहीं है। यह बात झूठी है कि वाद्रगस्त आराजी दरीया कंवर व मोहन कंवर की ढाणी बनी हुई है। मेरी खिलाफ कमलसिह ने दावा लगवाया है। उक्त दावे के अन्दर वादी कौन है मुझे पता नहीं है। यह कहना सही है कि उक्त विवादग्रस्त आराजी दरिया कंवर व मोहन कंवर के दादा–परदादा की पैत्रक आराजी आई हुई है। उक्त विवादग्रस्त आराजी मैने कब खरीदी तारिख व माह मुझे याद नही है। अजखूद कहा कि लगभग 26–27 साल पहले खरीदी। वादग्रस्त आराजी मैने एक लाख निब्बे हजार में खरीदी है। वादग्रस्त आराजी मैने खरीदी थी तब खाते में कितने खातेदारों के नाम थे मुझे याद नहीं हैं। जिस समय मैने जमीन खरीद तब हेमसिंह, बगतसिह, भंवरसिह, दिलीपसिंह व सोहनसिहं सभी साथ में थे। उक्त सभी साथ में थे तब मैने सभी से सहमति ली थी। रजिस्टी देखकर बताया कि हेमसिह, बगतसिह, भंवरसिंह, दिलीपसिह व सोहनसिंह के कही हस्ताक्षर नहीं है। मैने दिनांक 11.03.2024 जवाब दावा दिया था। उसके अलावा मैने कई बार जवाब दावा दिये हैं। उक्त जवाब दावा के अलावा मैने कितनी बार जवाब दावा दिया है मुझे पता नहीं हैं। प्रदर्श 3 में क्या दस्तावेज है मुझे पता नहीं है। प्रदर्श 4 में क्या दस्जावेज है मुझे पता नहीं है। प्रदर्श 5 में क्या दस्तावेज है मुझे पता नहीं है। प्रदर्श 7 में क्या दस्तावेज है मुझे पता नहीं है। दावें में जो दस्तावेज लगाए है वह मैने कहा वो लगवाये है।दावे के अन्दर दस्तावेज लगवाये है कौनसी तारीख को लगवाये मुझे पता नहीं है। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में वादी व प्रतिवादी के बीच में झगड़े हमेशा होते रहते है। अजखूद कहा कि मारपीट की है। खेतसिंह का स्वर्गवास कब हुआ मुझे पता नहीं है। साक्ष्य शपथ पत्र के भाग सी से डी जो लिखा है सही लिखा है। यह कहना सही है कि यदि कोई पैत्क आराजी हो तो उसके वारिशान को मिलनी चाहिए। अजखूद का कि मिलनी चाहिए व नहीं मिलनी चाहिए। यह बात सही है कि मैरे द्वारा खरीदी गई जमीन के तीनो तरफ राजपूतों के खेत आये हुए है। कोर्ट में दावा करने बाद हमेशा आते–जाते रहते है। दावा करने से पूर्व मै कोर्ट नहीं आया था, क्योंकि कोर्ट में मेरा कोई काम नहीं पड़ा था। यह कहना सही है कि मेरी ढाणी मेरे बाप–दादा की पैतृक जमीन माडी हुई है। अजखूद कहा कि मोल ली हुई जमीन में भी ढाणी बनी हुई है। यह बात झूठी है कि मोल ली हुई जमीन में झोपड़ा था जिसको जला दिया हो। मेरे एक लड़का है। जिसकी उम्र 25 वर्ष है। रजिस्टी के अन्दर कितने प्रष्ठ है मुझे पता नहीं है। शपथ–पत्र में कितने पेज है आज मुझे याद नहीं है। शथप–पत्र कौनसी तारीख को लिखवाया मुझे याद नहीं है। यह बात सही है कि उक्त वादग्रस्त आराजी वन विभाग की जमीन के पास आई हुई है। यह बात झूठी है कि वादग्रस्त आराजी में पशु चरते हो ओर खुली पड़ी हो। यह कहना सही है कि जब मैने जमीन खरीदी तब भंवरसिंह, दिलीपसिंह, सोहनसिंह पिता खेतसिंह की उम्र 18 साल से कम नाबालिग थे। कि यदि कोई नाबालिग अपनी सम्पति भूमि का बेचान करता है तो उसकी स्वतंत्र सहमति ली जाती है या नहीं ली जाती मुझे पता नही है। यह बात कि मुझे जानकारी नही है कि नाबालिग भंवरसिह, दिलीपसिंह, सोहनसिंह पिता खेतसिह द्वारा नाबालिग समय में अपनी भूमि का बेचान किया गया है। स्वतंत्र सहमति नही थी। कि जब मैने जमीन खरीद तब भंवरसिह, दिलीपसिंह, सोहनसिंह पिता खेतसिह की अपने हिस्से की जमीन के पैसे लिये या नही लिये मुझे पता नही। यह बात सही है कि रजिस्टी को देखकर गवाह ने बताया कि नाबालिग भंवरसिह, दिलीपसिंह, सोहनसिह पुत्र खेतसिंह के उक्त रजिस्टी पर कही पर भी अगुष्ठे के निशान नही है। मुझे यह ज्ञात नही है कि वादीनी का उक्त वादग्रस्त आराजी में 1/42 –1/42 हिस्सा है या नही है। मुझे पता नही है कि

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

इस रजिस्टी में कितने रूपये का स्टाप लगवाया गया। मुझे यह पता नहीं है कि सरकार को इस रजिस्टी के कितने रूपये भरे गये। मुझे यह ज्ञात नहीं है कि इस रजिस्टी में कितने लोग थे। अज खूद कहा कि जितने थे वह सभी थे। मुझे यह ज्ञात नहीं है कि उक्त रजिस्टी बैचान दस्तावेज को देखकर कर बताया जिसमें लिखा कि विक्रता कमलसिह वल्द खेतसिह व चन्द्रा बेवा खेतसिह उक्त दोनों ने ही बेचान किया। उक्त वादग्रस्त आराजी बेचान रजिस्टी मै कितना हिस्सा खरीदा मुझें हिस्से का पता नहीं है। अज खुद कहा कि मैने 36 बीघा जमीन खरीदी है। मुझे यह पता नहीं है कि एक बीघे में कितने बिस्वा होते है। एक बीधा में कितने फीट होते है मुझे पता नही है। एक बीघा में कितनी सांकल होती है यह मुझे पता नहीं है। यह कहना गलत है कि वादग्रस्त आराजी पर वादीनी की ढाणी बनी हुई है या कब्जा है।

16. प्रकरण में डी0डब्ल्यू0–02 भारताराम पुत्र अणदाराम से वादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि मै पढा लिखा हू। आठवीं पास हूं। मै वादी व प्रतिवादी को जानता हूं।उक्त दावा जमीन संबंधी है जो कमल सिंह ने किया है। मूल सिंह के तीन लडके हेम सिंह, बगत सिंह, खेत सिंह थे। बगत सिंह के दो वारिसान हैं। यह बात झूठी है कि खेत सिंह के चार लडके और दो लडकियां हों। मेरी उम्र आज 50 वर्ष है। यह बात सही है कि खेतसिंह मेरे पाडोसी है। खेत सिंह के नाम पहले कितना बीघा का खेत था मुझे पता नहीं। रावताराम उक्त पत्रावली में वादी पक्षकार है। रावता राम ने जमीन किस महिने में कितनी तारिख को खरीदी मुझे पता नहीं है। खेतसिह कास्वर्गवास कब हुआ मुझे पता नहीं है। खेत सिंह जब फोत हुए तब खेतसिंह के उत्तराधिकारियों का नामांतरण कब खोला एवं नामांतरण संख्या मुझे पता नहीं। उक्त शपथ पत्र में खेत सिंह के फोत का स्वर्गवास का सन एवं नामांतरण की संख्या हमने वकील साहब को बताई और उन्होने शपथ पत्र में लिखी। मुझे अभी खेत सिंह की स्वर्गवास की दिनांक सन व नामांतरण संख्या याद नहीं है। उक्त खेत का पटवार क्षेत्र नेहरों का वास हैं। उक्त दावा कौनसे सन् में लगाया और कितने साल पूर्व लगाया मुझे याद नहीं है। यह बात झूठी है कि उक्त दावे के अंदर वादिनी दरिया देवी व मोहन कंवर बताई है जो कि पुत्री खेत सिंह की बताई हैं। दरिया कंवर किसकी पुत्री है मुझे पता नहीं है। मोहन कंवर किसकी पुत्री है मुझे पता नहीं है। रावताराम ने जब भूमि खरीदी थी जब रजिस्ट्री करवाई थी तब मै कार्यालय नहीं आया था। रावताराम ने जब जमीन खरीदी तब उसमें बेचान कर्ता कमलसिंह और चन्द्र देवी ने बेचान की गई थी। यह कहना सही है यदि कोई पैतृक आराजी है और पिताजी फोत हो जाते है तो उसके वारिसानों के नाम भूमि के अंदर आना चाहिएं। उक्त मूल खसरे के कितने खसरे पडे मुझे पता नहीं है। उक्त वाद के खसरा नम्बर भी मुझे पता नहीं है। उक्त दावे के अंदर वादिनी ने अपना कितना हिस्सा मांगा है मुझे पता नही है। उक्त दावे के अंदर वादिनी का 1/42 , 1/42 हिस्सा बनता है तो मुझे पता नहीं है। उक्त शपथ पत्र के कितने पैरा है मुझे याद नहीं है। इस शपथ पत्र के कितने पृष्ठ है मुझे याद नहीं है। उक्त शपथ पत्र में क्या लिखा है पूरा मुझे याद नहीं है। उक्त शपथ पत्र कब पेश किया है मुझे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि मुझे वकील साहब ने आज कोर्ट में आने को कहा हो। इस शपथ पत्र में 5–7 जगह पर मेरे हस्ताक्षर किए हुए हैं। मैने उक्त शपथ पत्र पर हस्ताक्षर 04.12.2025 को किए। यह कहना सही है कि उक्त विवादग्रस्त आराजी के संबंध में फौजदारी विवाद वादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

एवं प्रतिवादी के मध्य चला था। यह बात गलत है कि इस जमीन पर कब्जा वादिनी का हो और मै झूठा बयान दे रहा हूं।

17. प्रकरण में डी0डब्ल्यू0–03 दमाराम पुत्र ताजाराम से वादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि
प्रश्नः– रावतराम आप के रिश्ते में क्या लगते है?
उत्तरः– मेरे काका के बेटे भाई है।
प्रश्नः– आप क्या पढे लिखे हो?
उत्तरः– मै पढा लिखा नही हुं।
प्रश्नः– रावताराम पुत्र अणदाराम की की उम्र कितनी है?
उत्तरः– रावताराम की उम्र 63 वर्ष है।
प्रश्नः'– आप का गाव कौनसा है।
उत्त्तरः– मेरा गांव नेहरावास है।
प्रश्नः– खेतसिंह पुत्र मूलसिंह का भी नेहरावास गावं था?
उत्तरः– खेतसिंह पुत्र मूलसिंह का गांव मुसलमानो की ढाणी है।
प्रश्नः– नेहरावास व मुसलमानो की ढाणी के बीच कितनी दूरी है।
उत्तरः– आपस में काकड है।
प्रश्नः– आप द्वारा पेश शपथ पत्र सफेद पेज पर है या पाई पेपर है?
उत्तरः– सफेद पेपर पर है।
प्रनः–शपथ पत्र पाई पेपर पर है जिसमें आपने अगूठे नहीं दिये है
उत्तरः– पाई पेपर पर नहीं दिया।
प्रश्नः– दावे की लिखा–पढी पाई पेपर पर की या सफेद पेपर पर की है।
उत्तरः– सफेद पेपर पर की है।
प्रश्नः– दावे की लिखा–पढी आपने देखी नहीं है इसलिए आप नही बता सकते कौनसे पेपर पर है।
उत्तरः– सफेद पेपर पर है।
प्रश्नः–आप पढे लिखे तो नहीं हो आप को दावा किसने पढाया है?
उत्तरः– मैने दावा बोल के लिखवाया था।
प्रश्नः– आपके खेत के खसरा नम्बर कितना है।
उत्तरः– मेरे खेत के खसरा नम्बर 166/8 है।
प्रश्नः– मूलसिंह के कितने पुत्र थे क्या नाम था।
उत्तर मूलसिह के तीन पुत्र थे क्रमश वगतसिंह, खेतसिह, हेमसिह थे।
प्रशनः–खेतसिंह आपके पहले पड़ौसी थे।
उत्तरः– हां खेतसिह मेरे पड़ौसी थे।
प्रनः– खेतसिंह की पत्नि का क्या नाम है।
उत्तरः– चन्द्रा नाम है।
प्रनः– दरिया कंवर, मौहनी खेतसिंह की पुत्री है।
उत्तरः– मैने देखी नहीं।
प्रश्नः– रावताराम इस दावे में कितने नम्बर पर प्रतिवादी है।
उत्तरः– रावताराम दावे के अन्दर कोई नही है।
प्रश्नः–वाद ग्रस्त खेत के खसरा नम्बर कितने है।
उत्तरः– मुझे पता नहीं है।
प्रश्नः–विवादित ग्रस्त आराजी का शपथ पत्र में खसरा इस दावे में लिखा हुआ नही है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

उत्तरः— मुझे इस का पता नही है।
प्रशनः—यह शपथ किस सन् में लिखवाया।
उत्तरः— मुझे ध्यान नही है।
प्रनः—रावतराम ने जमीन खरीदी तब भंवरसिह, दिलीपसिंह, सोहनसिंह पिता खेतसिह नाबालिग थे।
उत्तरः—नाबालिग थे।
प्रश्नः—आप को ध्यान है कि नाबालिग की जमीन कोई खरीद नही सकता।
उत्तरः— मेरे को तो ध्यान नहीं था।
प्रश्नः— 18वर्ष से कम उम्र की जमीन अपने नाम से स्वतंत्र सहमति के बिना बैचान नहीं कर सकता है यह बात आपको पता है या नही।
उत्तरः— यह मुझे पता नही है। यह सहमत थे।
प्रश्नः—शपथ पत्र आपको वकील साहब ने मुझे पढाया है ओर मेरे को वकील साहब ने कहा मैने जैसा बोला वैसे कोर्ट में बोलना है।
उत्तरः— यह कहना सही है।
प्रश्नः—इस दावे में क्या क्या दस्तावेज लगे हुए है आपको तो पता नही है।
उत्तरः—मुझे पता नहीं है।
प्रशनः—यह दावा किसने किया है।
उत्तरः— मुझे पता नही है यह दावा किसने किया है।
प्रनः—यह दावा दरिया कंवर, मोहन कंवर पुत्री खेतसिंह ने किया है क्या यह सही है।
उत्तरः—मै इनको जानता नहीं है।
प्रश्नः—इस दावे में आप प्रतिवादीयों को नही जानते हो।
उत्तरः— मै प्रतिवादीयों को नहीं जानता हुं।
प्रश्नः—आपकी आंखों से रजिस्टी होते देखी है क्या।
उत्तरः— मैने रजिस्टी होते नही देखी है।
प्रश्नः—वर्तमान में खेतसिंह के परिवार के पास कितने बीघा जमीन है आप को पता है।
उत्तरः—मुझे ध्यान नही है।
प्रश्नः—वादीनी के पास आज कितने बीघा जमीन है आपको पता है।
उत्तरः— पता नही है।
प्रश्नः—इस शपथ पत्र में आपने मयूटेशन नबंर लिखे हुए है कितने म्यूटेशन नबंर लिखे हुए है आपको पता है।
उत्तरः— म्यूटेशन नबंर मुझे याद नही है।
प्रश्नः—इस शपथ पत्र में कितने पद लिखे हुए है पद संख्या कितने है।
उत्तरः— कितने पद लिखे हुए मुझे पता नही है।
प्रश्नः—प्रतिवादी वकील कौन है।
उत्तरः— प्रतिवादी वकील डालूराम है।
प्रश्नः—प्रतिवादी ने जवाब दावा कितने पृष्ठो को आपको याद है।
उत्तरः— मुझे पूरा पता नही है।
प्रश्नः—शपथ कितने पृष्ठो में दिया हुआ है।
उत्तरः— चार पृष्ठो में दिया है।
प्रश्नः—प्रतिवादी ने जवाब दावा मे जो जवाब दिया है वह खसरा नबंर 172 है यह सही है या गलत।
उत्तरः— सही है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रश्नः—शपथ पत्र कौनसी तारीख को पेश किया है।
उत्तरः— मुझे याद नही है।
प्रश्नः— उक्त आराजी हेमसिह, वगतसिह खेतसिह के पैतृक आराजी आई हुई है।
उत्तरः— यह कहना सही है पैतृक आराजी है।
प्रश्नः—उक्त जमीन वादीनी के पैतृक आराजी आई हुई है।
उत्तरः— वह मुझे पता नही है।
प्रश्नः—विवाद ग्रस्त आराजी में वादीनी का झूपड़ा है इसके वाड़ की हुई है।
उत्तरः— यह कहना गलत है।
प्रश्नः—बापूती की जमीन में पैतृक आराजी में जितनी उत्तराधिकारी होते है उनके जमीन आई चाहिए या नही।
उत्तरः— आनी चाहिए।
प्रश्नः—विवादग्रस्त आराजी में वादीनी का कब्जा आया हुआ है यह बात सही है।
उत्तरः— वादीनी तो कोई है ही नही। कब्जा नही आया हुआ है।

18. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपने दावे के तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादिनीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 10 का पैतृक संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 172 रकबा 264 बीघा (विभाजित खसरा संख्या 172/07—09 बीघा, 172/1/44 बीघा, 172/2/36—00 बीघा, 172/3/44 बीघा, 172/4/98—13 बीघा, 172/5/32—15 बीघा, 172/6/05 बिस्वा, 172/7/03 बिस्वा, 172/8/02 बिस्वा, 172/9/11 बिस्वा, 172/10/02 बिस्वा), खसरा संख्या 169/02 बिस्वा, 170/05 बिस्वा, 171/05 बिस्वा, 168/46—02 बीघा, 168/1/02 बिस्वा मौजा मुसलमानों की ढाणी पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील गुड़ामालानी में वादीनीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 प्रत्येक का बहिस्सा 1/42—1/42 खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 05 ने मुतनाजा आराजी में से 1/42—1/42 हिस्से से अधिक प्रतिवादी संख्या 11 से 19 को किया गया बेचान को वादीनीगण के हक हिस्से तक प्रारम्भ से ही शुन्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जावे। साथ ही वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा बहस करते हुए दावा खारिज करने का निम्न प्रकार निवेदन किया कि वादी का दावा खारिज किया जावे। अगर माननीय न्यायालय वादी का दावा डिक्री करना उचित पाता है तो प्रतिवादी संख्या 19 को किया गया बैचान यथावत रखा जावे।

19. मैनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अब प्रकरण का तनकीवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में सर्वप्रथम तनकी संख्या 01 के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 01, 02 निम्न प्रकार हैः—

    1. आया वादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के तहत विधिक वारिश होने के आधार पर मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है।

.....वादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

20. प्रकरण में तनकी संख्या 01 को साबित करने का भार वादी पर है। प्रकरण का मुख्य विवाद का बिन्दु यह है कि वादी दरिया कंवर खेतसिंह पुत्र मूलसिंह की पुत्री है अथवा नहीं। साथ ही दूसरा विवाद का बिन्दु है कि प्रतिवादी संख्या 01 व 05 द्वारा मुतनाजा आराजी में से 36 बीघा आराजी का प्रतिवादी संख्या 19 को किया गया बैचान विधिसंगत है अथवा नहीं। वादी के दावे का मुख्य आधार यह है कि वादी, खेतसिंह पुत्र मूलसिंह की विधिक वारिस है जबकि प्रतिवादी का मुख्य खण्डन है कि वादी, खेतसिंह पुत्र मूलसिंह की वारिस नहीं है।

21. प्रकरण में उक्त तनकी पर अग्रिम विश्लेषण से पूर्व सिविल मामलों में संबंधित पक्षों के दावे व खण्डन के संबंध में साबित करने के भार के संबंध में कानूनी स्थिति का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023 के प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023 के प्रासंगिक प्रावधानों का उद्धरण निम्न प्रकार है–

OF THE BURDEN OF PROOF

***104. Burden of proof**.—Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist, and when a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.*

Illustrations.

(a) A desires a Court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed. A must prove that B has committed the crime.

(b) A desires a Court to give judgment that he is entitled to certain land in the possession of B, by reason of facts which he asserts, and which B denies, to be true. A must prove the existence of those facts.

***105. On whom burden of proof lies**.—The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side.*

Illustrations.

(a) A sues B for land of which B is in possession, and which, as A asserts, was left to A by the will of C, B's father. If no evidence were given on either side, B would be entitled to retain his possession. Therefore, the burden of proof is on A.

(b) A sues B for money due on a bond. The execution of the bond is admitted, but B says that it was obtained by fraud, which A denies. If no evidence were given on either side, A would succeed, as the bond is not disputed and the fraud is not proved. Therefore, the burden of proof is on B.

***106. Burden of proof as to particular fact**.—The burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the Court to believe in its existence, unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person.*

Illustration.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

A prosecutes B for theft, and wishes the Court to believe that B admitted the theft to C. A must prove the admission. B wishes the Court to believe that, at the time in question, he was elsewhere. He must prove it.

***107. Burden of proving fact to be proved to make evidence admissible**.— The burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence.*

llustrations.

(a) A wishes to prove a dying declaration by B. A must prove B's death.

(b) A wishes to prove, by secondary evidence, the contents of a lost document. A must prove that the document has been lost.

22. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2413/2006 उनवान में निर्णय दिनांक 02.05.2006 में साक्ष्य अधिनियम–1887 के प्रासंगिक प्रावधानों की विवेचना करते हुए किसी दावे में साबित करने के भार के बारे में विस्तृत विवेचना करते हुए न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है। उक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रासंगिक विवेचन का उद्धरण निम्न प्रकार है–

The initial burden of proof would be on the plaintiff in view of Section 101 of the Evidence Act, which reads as under:-

> *"Sec. 101. Burden of proof.- Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist.*
>
> *When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person."*

In terms of the said provision, the burden of proving the fact rests on the party who substantially asserts the affirmative issues and not the party who denies it. The said rule may not be universal in its application and there may be exception thereto.....

Pleading is not evidence, far less proof. Issues are raised on the basis of the pleadings. The defendant-appellant having not admitted or acknowledged the fiduciary relationship between the parties, indisputably, the relationship between the parties itself would be an issue. The suit will fail if both the parties do not adduce any evidence, in view of Section 102 of the Evidence Act. Thus, ordinarily, the burden of proof would be on the party who asserts the affirmative of the issue and it rests, after evidence is gone into, upon the party against whom, at the time the question arises, judgment would be given, if no further evidence were to be adduced by either side.

xxx

There is another aspect of the matter which should be borne in mind. A distinction exists between a burden of proof and onus of proof. The right to begin follows onus probandi. It assumes importance in the early stage of a case. The question of onus of proof has greater force, where the question is which party is to begin. Burden of proof is used in three ways : (i) to indicate the duty of bringing forward evidence in support of a proposition at the beginning or later; (ii) to make that of establishing a proposition as against all counter evidence; and (iii) an indiscriminate use in which it may mean either or both of the others. The elementary rule is Section 101 is inflexible. In terms of Section 102 the initial onus is always on the plaintiff and if he

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

discharges that onus and makes out a case which entitles him to a relief, the onus shifts to the defendant to prove those circumstances, if any, which would disentitle the plaintiff to the same.

In R.V.E. Venkatachala Gounder v. Arulmigu Viswesaraswami & V.P. Temple and Anr., the law is stated in the following terms :

> *"29. In a suit for recovery of possession based on title it is for the plaintiff to prove his title and satisfy the court that he, in law, is entitled to dispossess the defendant from his possession over the suit property and for the possession to be restored to him. However, as held in A. Raghavamma v. A. Chenchamma there is an essential distinction between burden of proof and onus of proof:*
>
> *burden of proof lies upon a person who has to prove the fact and which never shifts. Onus of proof shifts. Such a shifting of onus is a continuous process in the evaluation of evidence. In our opinion, in a suit for possession based on title once the plaintiff has been able to create a high degree of probability so as to shift the onus on the defendant it is for the defendant to discharge his onus and in the absence thereof the burden of proof lying on the plaintiff shall be held to have been discharged so as to amount to proof of the plaintiff's title."*

23. प्रकरण में भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023 के प्रासंगिक प्रावधानों तथा उक्त न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन करने पर कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है कि जहां आपराधिक प्रकरणों में निर्णयन संदेहरहित प्रमाणन के आधार पर किया जाता है। वही सिविल प्रकृति के मामलों में संभावनाओं की प्रबलता/प्रधानता के आधार पर निर्णयन किया जाता है। साथ ही यह भी कानूनी स्थिति है कि दावे के अभिवचन साक्ष्य नहीं होते है। दावाकर्त्ता व्यक्ति को अपने दावे के समर्थन में पृथक से साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अपने दावे के तथ्य को साबित करने का दायित्व होता है।

24. इसके साथ ही यह भी कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है कि सबूत का भार (Burden of Proof) तथा प्रमाण का भार (Onus of Proof) में अंतर है। किसी सिविल दावे में सबूत का भार (Burden of Proof) प्रमुखतः वादी पर होता है। सबूत का भार (Burden of Proof) स्थानांतरित नहीं होता है। जबकि प्रमाण का भार (Onus of Proof) स्थानांतरित होता है। किसी सिविल दावे में किसी तथ्य को साबित करने का भार (Burden of Proof) उस तथ्य के आधार पर दावा करने वाले व्यक्ति पर होता है। जब किसी तथ्य को किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाण का भार (Onus of Proof) पूर्ण करते हुए साबित करने का दायित्व पूर्ण किया जाता है तो प्रमाण का भार (Onus of Proof) प्रतिद्वंदी पर आ जाता है। अब प्रतिद्वंदी को उक्त तथ्य विशेष के खण्डन हेतु साबित करने का भार (Onus of Proof) होने के कारण अगर प्रमाण प्रस्तुत करते हुए प्रमाणन का भार (Onus of Proof) पूर्ण किया जाता है तो प्रमाण का भार (Onus of Proof) वापस स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार प्रमाण का भार (Onus of Proof) स्थानांतरित होता रहता है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है। जो व्यक्ति प्रमाणन का भार (Onus of Proof) का दायित्व पूर्ण करने में असफल रहता है उसके विरूद्ध उक्त तथ्य को साबित माना जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

25. इस प्रकार उक्त कानूनी स्थिति के संदर्भ में प्रकरण के तथ्यों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि प्रकरण में निहित विवाद का आधार बिन्दु यह है कि वादी दरिया कंवर खेतसिंह पुत्र मूलसिंह की पुत्री है अथवा नहीं। वादी के दावे का मुख्य आधार यह है कि वादी, खेतसिंह पुत्र मूलसिंह की विधिक वारिस है जबकि प्रतिवादी का मुख्य खण्डन है कि वादी, खेतसिंह पुत्र मूलसिंह की वारिस नहीं है। इस संबंध में उक्त तथ्य को साबित करने का भार वादी पर है। इस संबंध में वादी द्वारा अपने दावे के अभिवचन में उल्लेखित किया है कि खेतसिंह पुत्र मूलसिंह की विधिक वारिस वादी है। यहां उल्लेखनीय है कि कानूनी स्थिति है कि दावे के अभिवचन साक्ष्य नहीं होते है। दावाकर्त्ता व्यक्ति को अपने दावे के समर्थन में पृथक से साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अपने दावे के तथ्य को साबित करने का दायित्व होता है। अतः केवल दावे के अभिवचन के आधार पर ही वादी को खेतसिंह पुत्र मूलसिंह की पुत्री होने के तथ्य को साबित नहीं माना जा सकता है। वादी के दावे के उक्त अभिवचन का प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबदावे में स्पष्ट व विशेष खण्डन किया है। प्रतिवादी के द्वारा उक्त तथ्य के स्पष्ट व विशेष खण्डन की स्थिति में वादी द्वारा उक्त तथ्य को साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित किया जाना और आवश्यक हो जाता है।

26. अब प्रकरण में उक्त तथ्य के संबंध में वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में वादी द्वारा हलफनामा प्रस्तुत किया है। उक्त हलफनामे में वादी ने अभिकथन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01–05 खेतसिंह के वारिसान है। इस प्रकार वादी ने अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से साबित करने का प्रयास किया है कि वादी भी खेतसिंह पुत्र मूलसिंह की पुत्री है।

27. वादी के हलफनामा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी को प्रतिवादी के परिवार के बारे में पूर्ण जानकारी है। वादी द्वारा मूलसिंह के परिवार की वंशावली का विवरण दिया है उसको प्रतिवादी ने स्वीकार किया है। अर्थात् वादी को प्रतिवादी के परिवार के बारे में पूर्ण जानकारी है। इस संबंध में भी प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में कोई सवाल नहीं किया गया है। वादी को मूलसिंह के परिवार के बारे में इतनी जानकारी होना तथा उक्त जानकारी को प्रतिवादी के द्वारा स्वीकार किया जाना या स्पष्ट खण्डन नहीं करना अपने आप में वादी को मूलसिंह के परिवार के सदस्य होने के तथ्य को साबित करता है। इस प्रकार वादी अपने उपर आरोपित खेतसिंह पुत्र मूलसिंह की पुत्री होने के तथ्य के प्रमाणन के भार को निर्वहन करने में सफल रही है। इससे प्रमाणन का भार प्रतिवादी के उपर स्थानांतरित होता है। अब प्रमाणन का भार प्रतिवादी पर है कि वह वादी के खेतसिंह पुत्र मूलसिंह की पुत्री होने के तथ्य को नकारात्मक रूप से प्रमाणित करे।

28. इस संबंध में प्रतिवादी के गवाहों के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में प्रतिवादी गवाह रावताराम के साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में अभिकथन किया गया कि दरिया कंवर के खेतसिंह की सबसे बड़ी पुत्री होने के बारे में जानकारी नहीं हैं। साथ ही अभिकथन किया कि मुतनाजा आराजी दरिया कंवर व मोहन कंवर के दादा व परदादा की पैतृक आराजी है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा एक तरह से दरिया कंवर के खेतसिंह की पुत्री होने के अभिकथन को स्वीकार किया है। इस संबंध में प्रतिवादी के उपर आरोपित प्रमाणन का भार को निर्वहन

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

करने में प्रतिवादी असफल रहे है। इससे प्रमाणन का भार वापस वादी के उपर स्थानांतरित नहीं होता है।

29. इस प्रकार उक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वादी को मूलसिंह के परिवार के बारे में इतनी जानकारी होना तथा उक्त जानकारी को प्रतिवादी के द्वारा स्वीकार किया जाना या स्पष्ट खण्डन नहीं करना तथा साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में दरिया कंवर को खेतसिंह की पुत्री स्वीकार करना अपने आप में वादी को मूलसिंह के परिवार के सदस्य होने के तथ्य को साबित करता है। यहां उल्लेखनीय है कि किसी विपक्षी द्वारा साक्ष्य में किसी तथ्य को स्वीकार करना सर्वोत्तम व स्वतः सिद्ध साक्ष्य है। इस प्रकार मौखिक साक्ष्य व प्रतिवादी के उक्त तथ्य के स्वीकारनामे के माध्यम से वादी अपने उपर आरोपित खेतसिंह पुत्र मूलसिंह की पुत्री होने के तथ्य के प्रमाणन के भार को निर्वहन करने में सफल रही है। इससे अब प्रमाणन का भार प्रतिवादी के उपर स्थानांतरित होता है। प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत नहीं किया है कि दरिया कंवर अगर खेतसिंह पुत्र मूलसिंह की पुत्री नहीं है तो दरिया कंवर असल में किसकी पुत्री है। इस संबंध में प्रतिवादी के उपर आरोपित प्रमाणन का भार को निर्वहन करने में प्रतिवादी असफल रहे है। बल्कि उक्त तथ्य को स्वीकार किया है। इससे प्रमाणन का भार वापस वादी के उपर स्थानांतरित नहीं होता है। इस प्रकार वादी अपने उपर आरोपित खेतसिंह पुत्र मूलसिंह की पुत्री होने के तथ्य को उक्तानुसार साबित करने में सफल रही है। इस प्रकार वादी को खेतसिंह पुत्र मूलसिंह की ही पुत्री माना जाना उचित प्रतीत होता है।

30. उक्त प्रकार से अब प्रकरण में वादी को खेतसिंह पुत्र मूलसिंह की पुत्री माने जाने के पश्चात प्रकरण का विधिक आधारों पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित प्रतीत होता है। प्रकरण में उक्त तनकी संख्या 01, 02 सारतः हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 से संबंधित है। प्रकरण में तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण आवश्यक है। इस संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–8 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> ***8. General rules of succession in the case of males.—***
> *The property of a male Hindu dying intestate shall devolve according to the provisions of this Chapter:—*
> *(a) firstly, upon the heirs, being the relatives specified in class I of the Schedule;*
> *(b) secondly, if there is no heir of class I, then upon the heirs, being the relatives specified in class II of the Schedule;*
> *(c) thirdly, if there is no heir of any of the two classes, then upon the agnates of the deceased; and*
> *(d) lastly, if there is no agnate, then upon the cognates of the deceased.*

31. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–8 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–8 के अनुसार सर्वप्रथम हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–1 के अनुसार दर्ज किये जाने के प्रावधान

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग के अन्तर्गत वारिसों के मध्य संपत्ति की विरासत के संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 तथा धारा–10 के तहत प्रावधान बनाये गये है। प्रकरण में अपीलार्थी हिन्दू मृतक के वारिस अभिकथित किये जाने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 तथा धारा–10 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> ***9. Order of succession among heirs in the Schedule.—*** *Among the heirs specified in the Schedule, those in class I shall take simultaneously and to the exclusion of all other heirs; those in the first entry in class II shall be preferred to those in the second entry; those in the second entry shall be preferred to those in the third entry; and so on in succession.*
>
> ***10. Distribution of property among heirs in class I of the Schedule.*** *—The property of an intestate shall be divided among the heirs in class I of the Schedule in accordance with the following rules: —*
> *Rule 1.—The intestate's widow, or if there are more widows than one, all the widows together, shall take one share.*
> *Rule 2.—The surviving sons and daughters and the mother of the intestate shall each take one share.*
> *Rule 3.—The heirs in the branch of each pre-deceased son or each pre-deceased daughter of the intestate shall take between them one share.*
> *Rule 4.—The distribution of the share referred to in Rule 3—*
> *(i) among the heirs in the branch of the pre-deceased son shall be so made that his widow (or widows together) and the surviving sons and daughters get equal portions; and the branch of his pre-deceased sons gets the same portion;*
> *(ii) among the heirs in the branch of the pre-deceased daughter shall be so made that the surviving sons and daughters get equal portions.*

32. उक्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 तथा धारा–10 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के सभी वारिस एक साथ तथा एक समान भाग प्राप्त करते है। किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार अगर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिस उपलब्ध नहीं होने पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–02 के वारिसों में सर्वप्रथम प्रथम प्रविष्टि के वारिसों के नाम विरासत दर्ज करने के प्रावधान है। किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के विभाजन के सामान्य नियम व निर्देश दिये गये है।

33. प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के विभाजन हेतु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

THE SCHEDULE (See section 8)
HEIRS IN CLASS I AND CLASS II

Class I

Son; daughter; widow; mother; son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son; son of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter; widow of a pre-deceased son; son of a pre-deceased son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased son; widow of a pre-deceased son of a pre-deceased son [son of a predeceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased son.

34. प्रथम श्रेणी के वारिसों को निम्न सारणी अनुसार समझा जा सकता है–

Married Male - Hindu, Budhist, Jain, Sikh (Class I Heirs)

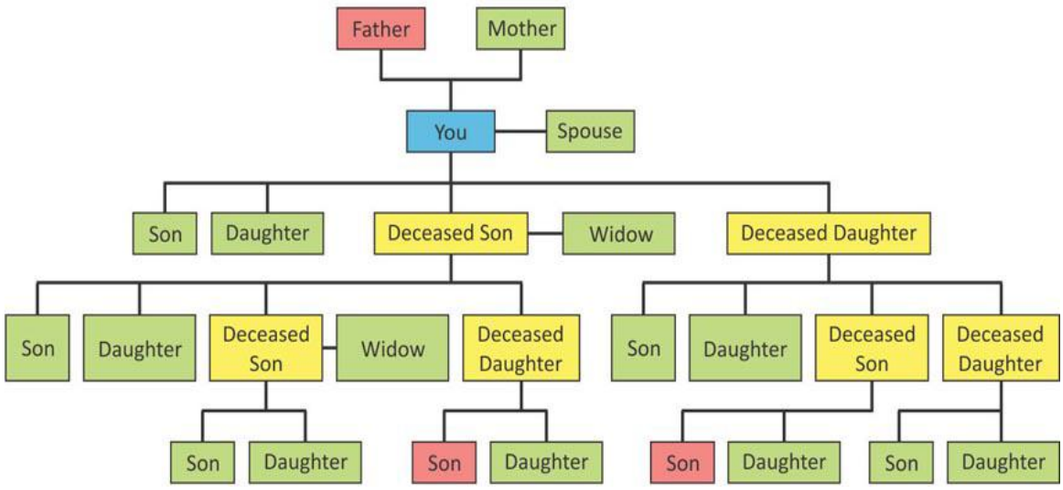

35. प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के विभाजन हेतु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची का प्रकरण में अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

वर्ग–01 के वारिसों में मृतक हिन्दू पुरूष के असल पुत्र, पुत्रीयों, पत्नी तथा माता को भी एक समान भाग प्राप्त होने के प्रावधान है।

36. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि मूलसिंह के 03 पुत्र रहे है। जिनमें खेतसिंह भी मूलसिंह का विधिक पुत्र निर्विवादित है। इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के न्यायगमन के आधार पर मूलसिंह की संपत्ति में खेतसिंह पुत्र मूलसिंह का 1/3 हिस्सा निहित है। इसी प्रकार प्रकरण में वादी अपने पिता खेतसिंह पुत्र मूलसिंह की प्रथम श्रेणी की वारिस है। इस कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के न्यागमन होने की स्थिति में खेतसिंह पुत्र मूलसिंह के प्रथम श्रेणी की वारिस वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01–05 को ही खेतसिंह पुत्र मूलसिंह का उक्त संपत्ति में 1/3 हिस्सा वादी के उपर न्यागत होना विधिसंगत है। अतः वादी के पिता खेतसिंह पुत्र मूलसिंह की सम्पत्ति में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01–05 के हित व अधिकार निहित हैं।

37. प्रकरण में वादी दरिया कंवर अपने पिता खेतसिंह पुत्र मूलसिंह की प्रथम श्रेणी की वारिस है। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा खेतसिंह पुत्र मूलसिंह की विरासत वादी दरिया कंवर के प्रथम श्रेणी के वारिस होकर उपस्थित होने के बावजूद भी केवल प्रतिवादी संख्या 01–05 के नाम हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के विपरीत दर्ज की है। इस आधार पर मुतनाजा आराजी पर खेतसिंह पुत्र मूलसिंह के 1/3 हिस्से पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01–05 के अधिकार निहित है। यहां उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 के तहत किसी काश्तकार के पूर्व से ही निहित अधिकारों की घोषणा करने हेतु प्रावधान बनाए गए है। एक प्रकार से खातेदारी अधिकारों की घोषणा किसी प्रकार के अधिकारों का नवसृजन नहीं है। बल्कि संबंधित काश्तकार के प्रश्नगत आराजी में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 के तहत या अन्य प्रभावी कानून के तहत प्रदत्त एवं पूर्व से ही निहित अधिकारों का प्रस्फुटन/उद्घोषणा मात्र है। इस प्रकार तनकी संख्या 01 को साबित करने में वादी सफल रहा है। इस प्रकार तनकी संख्या 01 प्रकरण में तनकी संख्या 02 के निष्कर्ष के अध्यधीन रहते हुए वादी के पक्ष में फैसल की जाती है।

38. इस संबंध में तनकी संख्या 02, 06 के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 02, 06 निम्न प्रकार हैः–

    2. *आया वादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत विधिक वारिश होने के आधार पर मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 द्वारा अपने हिस्से अधिक आराजी को प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 19 को किये गये बेचान के पंजीकृत दस्तावेज को वादीगण के हक हिस्से तक आरंभ से ही शून्य व निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है?*

.....वादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

6. *आया मुतनाजा आराजी में वादीगण के पिता की मृत्यु से पूर्व प्राप्त 1/5 हिस्से में से वादीगण का 2/35 हिस्सा प्राप्त होने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 19 को किये गये बेचान का पंजीकृत दस्तावेज में उल्लेखित रकबे पर कोई प्रभाव नहीं पडने के कारण प्रतिवादी संख्या 19 का हिस्सा अप्रभावित है।*

...........................प्रतिवादी संख्या 19

39. प्रकरण में तनकी संख्या 02 को साबित करने का भार वादी एवं तनकी संख्या 06 को साबित करने का भार प्रतिवादी के उपर है। उक्त दोनों तनकी प्रतिवादी संख्या 01 व 05 द्वारा प्रतिवादी संख्या 19 को किये गये मुतनाजा आराजी में से 36 बीघा आराजी के अंतरण को चुनौती देने से संबंधित हैं। प्रकरण में तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण आवश्यक है। उक्त अनुतोष के अवलोकन से अनुतोष में समाहित अनेक पक्ष व बिंदु सामने आते है। अतः उक्त अनुतोष का निर्णयन किये जाने से पूर्व अनुतोष में समाहित अनेक निम्न पक्ष व बिंदुओं का निर्धारण किया जाना अपेक्षित हैः–

1. *वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01–05 का हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होना।*
2. *मुतनाजा आराजी का पैतृक संपति होना।*
3. *वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01–05 का पैतृक आराजी में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1955 की धारा–06 के तहत सहदायक होना।*
4. *वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01–05 का पैतृक आराजी में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1955 की धारा–06 के तहत सहदायक होने के आधार पर अधिकार निहित होना।*
5. *प्रतिवादी संख्या 01 का अपने परिवार के कर्ता/मुखिया होना।*
6. *प्रतिवादी संख्या 01, 05 द्वारा बेचान के विधिक आवश्यकताओं के लिए किया गया होना।*

40. प्रकरण में प्रथम अनुतोष के विश्लेषण से पूर्व हिन्दू उतराधिकार से संबंधित संकल्पनाओं व कानून के निम्न बिंदुओं का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित हैः–

1. *हिन्दू संयुक्त परिवार एवं संपति की संकल्पना/अवधारणा।*
2. *पैतृक संपति की संकल्पना/अवधारणा।*
3. *सहदायिकी एवं सहदायिकी संपति की संकल्पना/अवधारणा।*
4. *सहदायिकी संपति में सहदायक के अधिकार की संकल्पना/अवधारणा।*
5. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया की संकल्पना/अवधारणा।*
6. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा।*
7. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया की सहदायिकी संपति के अंतरण की संकल्पना/अवधारणा।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

8. *सहदायिकी संपति के अंतरण हेतु आवश्यक परिस्थितियों की संकल्पना/अवधारणा।*
9. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया की सहदायिकी संपति के अंतरण किये जाने पर क्रेता के कर्तव्य की संकल्पना/अवधारणा।*
10. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया की सहदायिकी संपति के अंतरण के विरूद्ध सहदायक को उपलब्ध विकल्प/उपचार की संकल्पना/अवधारणा।*

41. प्रकरण में सर्वप्रथम हिन्दू विधि के तहत सर्वप्रथम हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार द्वारा धारित संपति की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति को समझना अपरिहार्य है। हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार द्वारा धारित संपति की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—
    1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में सभी परिवार के सदस्य का एक पुरूष पूर्वज होना आवश्यक है।*
    2. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में सभी पुरूष, उनकी पत्नियां, माताएं एवं अविवाहित पुत्री शामिल होती है।*
    3. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में शामिल अविवाहित पुत्री का विवाह होते ही वह पति के संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य बनकर शामिल हो जाती है तथा पिता के संयुक्त हिन्दू परिवार से अलग हो जाती है।*
    4. *हिन्दू विधि में बिना संयुक्त हिन्दू परिवार की संपति के भी संयुक्त हिन्दू परिवार अस्तित्व में आ सकता है।*
    5. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य एक दुसरे से रिश्ते के आधार पर एकता में बंधे रहते है।*
    6. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य एक दुसरे से रिश्ते के साथ—साथ भोजन एवं पूजा में भी एकता में बंधे रहते है।*
    7. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार विधि द्वारा सृजित ईकाई है। किन्ही सदस्यों के द्वारा आपस में संयुक्त हिन्दू परिवार का सृजन नहीं किया जा सकता है।*
    8. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में गोद द्वारा नये सदस्य जोड़े जा सकते है।*
    9. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में किसी पुरूष सदस्य के नहीं होने की स्थिति में परिवार के अंत को रोकने हेतु गोद द्वारा नये सदस्य जोड़कर परिवार को आगे बढाया जा सकता है।*
    10. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार की संपति पर एक का कब्जा सभी का कब्जा माना जाता है। इस प्रकार हिन्दू संयुक्त परिवार में संपति पर कब्जे के आधार पर एकता रहती है।*
    11. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार की संपति में से कोई सदस्य कभी भी विभाजन करवाकर पृथक हो सकता है।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार सदस्य के पृथक होने पर वह संपति संयुक्त हिन्दू परिवार की नहीं रहती है।

12. *एक वृहत हिन्दू संयुक्त परिवार ईकाई में अनेक छोटी–छोटी हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई समाहित हो सकती है। जिनका पृथक अस्तित्व नहीं होता है परंतु छोटी–छोटी हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई अपना प्रबंधन पृथक करती हैं।*

42. प्रकरण में हिन्दू विधि के तहत हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार संपति की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति के पश्चात हस्तगत प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01–05 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के बारे में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में वादीगण द्वारा सजरा प्रस्तुत करते हुए अभिकथन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01–05 के हिन्दू होने के कारण सभी हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 से शासित होते है। प्रकरण में अन्य प्रतिवादी द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01–05 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के बारे में कोई विशेष व स्पष्ट खंडन नहीं किया है। इस प्रकार यह निर्विवादित है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01–05 एक ही हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01–05 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के बारे में वादी द्वारा सजरा प्रस्तुत किये जाने व साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट खंडन नहीं करने तथा गवाहों के प्रतिपरीक्षण में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01–05 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के बारे में कोई विरोधस्वरूप अभिकथन स्पष्ट नहीं होने के आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01–05 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य माना जाना उचित प्रतीत होता है।

43. अब प्रकरण में सहदायिकी संपति को समझने के लिए सर्वप्रथम पैतृक संपति की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। अतः प्रकरण में हिन्दू उतराधिकार के तहत पैतृक आराजी की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति को समझना अपरिहार्य है। हिन्दू विधि के तहत पैतृक संपति की वृहत संकल्पना को समझने के पश्चात हिन्दू विधि के पैतृक संपति के निम्न आवश्यक अवयव हैः–

1. *किसी हिन्दू को अपने तृतीय पीढी के पूर्वज पुरूष पिता के पिता के पिता (परदादा) की संपति, अपने पिता व पिता के पिता (दादा) की मृत्यु पिता के पिता के पिता (परदादा) की मृत्यु से पहले होने की स्थिति में, विरासत में सीधे प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त प्रथम परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है।*
2. *किसी हिन्दू को अपने द्वितीय पीढी के पूर्वज पुरूष पिता के पिता (दादा) की संपति, अपने पिता की मृत्यु पिता के पिता (दादा) की मृत्यु से पहले होने की स्थिति में, विरासत में सीधे प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त द्वितीय परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

3. *किसी हिन्दू को अपने प्रथम पीढी के पूर्वज पुरूष पिता की संपति विरासत में प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त तृतीय परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है। इस स्थिति में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के लागू होने के पश्चात धारा–8 के तहत विरासत के तहत प्राप्त संपति को प्राप्तकर्ता हिन्दू की पैतृक संपति नहीं मानकर प्राप्तकर्ता हिन्दू की पृथक संपति माना जाता है। अगर इस स्थिति में विरासत हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के लागू होने से पूर्व खुलती हैं उस स्थिति में ही विरासत के तहत प्राप्त संपति को प्राप्तकर्ता हिन्दू की पैतृक संपति माना जाता है।*
4. *किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति को उस हिन्दू द्वारा अपने पुत्र, अपने पुत्र के पुत्र (पौत्र), अपने पुत्र के पुत्र के पुत्र (प्रपौत्र) होने की स्थिति में आवश्यक रूप से धारण करना अनिवार्य है।*
5. *किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति में उस हिन्दू का पुत्र, पुत्र के पुत्र (पौत्र), पुत्र के पुत्र के पुत्र (प्रपौत्र) जन्म से ही अधिकार निहित रखता है।*
6. *हिन्दू उतराधिकार (संशोधन) अधिनियम–2005 द्वारा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–06 में किये गये संशोधन के पश्चात पुत्रियों को भी पुत्रों के समान सहदायक माना गया है। इस आधार पर किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति में उस हिन्दू की पुत्री भी जन्म से ही अधिकार निहित रखती है।*

44. प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01–05 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य मानने के पश्चात विवादित आराजी के सहदायिकी संपति होने के बारे में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। यहां उल्लेखनीय है कि हिन्दू विधि की नवीनतम स्थिति के अनुसार उक्त पृथक संपति को सहदायकों/हिन्दू परिवार के सदस्यों द्वारा सहदायकी संपति के बंडल में समर्पित किये जाने की स्थिति में ही सहदायिकी संपति/पैतृक संपति माना जाना विधिसंगत है। प्रकरण में इस तनकी पर विश्लेषण से पूर्व हिन्दू संयुक्त परिवार तथा सहदायिकी की इकाई तथा संबंधित ईकाई द्वारा धारित हिन्दू संयुक्त परिवार संपति व सहदायिकी संपति की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू विधि के तहत हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्त्ता की कानून की स्थिति निम्न प्रकार स्पष्ट की गई हैः–
    1. *अगर पिता जीवित है तो पिता हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता माना जाता है।*
    2. *अगर पिता जीवित नहीं है तो परिवार का वरिष्ठ सदस्य हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता माना जाता है।*
    3. *एक वृहत हिन्दू संयुक्त परिवार ईकाई में अनेक छोटी–छोटी हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई समाहित हो सकती है। इन लघुतर हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई के पृथक–पृथक कर्ता हो सकते है।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

4. *हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता पर अन्य सदस्यों से विशिष्ट स्थिति रखता है। हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता को संयुक्त परिवार के सदस्यों से सलाह मशविरा कर संयुक्त परिवार के प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है।*

45. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका को समझने के पश्चात की हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता के प्राधिकार एवं संपति के अंतरण की शक्तियों की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—
    1. *हिन्दू विधि द्वारा अनुमत परिस्थितियों के अतिरिक्त हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति का अंतरण नहीं कर सकता है।*
    2. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत अंतरण कर सकता हैः—*
        - *आपातकालेः— विधिक आवश्यकतार्थ।*
        - *कुटुम्बार्थेः— परिवार के हितार्थ।*
        - *धर्मार्थः— पवित्र उद्देश्य हेतु।*
    3. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत किये गए अंतरण से सभी सहदायक बाध्य होते है।*

46. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका को समझने के पश्चात की हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता के नाबालिक सहदायक के संबंध में प्राधिकार एवं संपति के अंतरण की शक्तियों की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—
    1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत से सभी सहदायक, चाहे सहदायक बालिग हो या नाबालिग, से निरपेक्ष रहते हुए हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति का अंतरण कर सकता है।*
    2. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति के किये गए अंतरण से सभी सहदायक, चाहे सहदायक बालिग हो या नाबालिग, से निरपेक्ष रहते हुए बाध्य होते है।*
    3. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता की अनुपस्थिति में संयुक्त हिन्दू परिवार के मुखिया/संरक्षक द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

अंतर्गत हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति के किये गए अंतरण से सभी सहदायक, चाहे सहदायक बालिग हो या नाबालिग, से निरपेक्ष रहते हुए बाध्य होते है।

47. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति में कर्ता के अधिकार की अवधारणा से प्रकरण के तथ्यों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में कमलसिंह पुत्र खेतसिंह की पारिवारिक इकाई का मुखिया कमलसिंह प्रतीत होता है। इस संबंध में वादीगण कमलसिंह पुत्र खेतसिंह के अपने पारिवारिक इकाई के कर्ता खानदान नहीं होने के संबंध में कोई खंडन नहीं करते हुए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए है। बल्कि वादीगण के गवाह के द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया गया है कि कमलसिंह पुत्र खेतसिंह ही परिवार का कर्त्ता खानदान रहा है। इस आधार पर कमलसिंह पुत्र खेतसिंह के अपने पारिवारिक ईकाई के कर्ता माना जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रकरण में निर्विवादित है कि कमलसिंह पुत्र खेतसिंह ही परिवार का कर्त्ता धर्ता है।

48. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका, प्राधिकार एवं संपति के अंतरण की शक्तियों की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु आवश्यक परिस्थितियों की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

    1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत अंतरण कर सकता हैः—*
        - *आपातकालेः— विधिक आवश्यकतार्थ।*
        - *कुटुम्बार्थेः— परिवार के हितार्थ।*
        - *धर्मार्थः— पवित्र उद्देश्य हेतु।*

49. प्रकरण में सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के विधिक आवश्यकता के तहत परिवार के लाभ हेतु संपति का बेचान द्वारा के अंतरण की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु उत्पन्न विधिक आवश्यकता की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

    1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत परिस्थितियों यथा आपातकालेः—विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण कर सकता है।*
    2. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होनी आवश्यक है।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

3. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता का आचरण विवेकपूर्ण पुरूष के समान होना आवश्यक है।*
4. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु अंतरण एवं संपति के अंतरण से प्राप्त प्रतिफल राशि का युक्तियुक्त होना आवश्यक है।*

50. प्रकरण सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु उत्पन्न विधिक आवश्यकता की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा विधिक आवश्यकता हेतु किये गये अंतरण के संबंध में खरीददार के उपर अंतरण की विधिक आवश्यकता को साबित करने की विधिक दायित्व के बारे में समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार के तहत सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा विधिक आवश्यकता हेतु किये गये अंतरण के संबंध में खरीददार के उपर अंतरण की विधिक आवश्यकता को साबित करने की विधिक दायित्व की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—
    1. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होनी आवश्यक है।*
    2. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की उत्पन्न परिस्थितियां के बारे में क्रेता को अंतरण से पूर्व वास्तविक रूप से जानकारी करने का विधिक दायित्व होता है।*
    3. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होने को साबित करने का विधिक भार/दायित्व क्रेता के उपर होता है।*
    4. *सहदायिकी संपति को पूर्ववर्ती ऋण हेतु विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने पर सहदायिकी संपति के अंतरण से प्राप्त प्रतिफल राशि का अंतरणकर्ता द्वारा उपयोग के बारे में जानकारी करने का विधिक दायित्व क्रेता का होता है।*
    5. *सहदायिकी संपति को परिवार या सहदायिकी संपति के लाभ या निवेश हेतु विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने पर सहदायिकी संपति के अंतरण से प्राप्त प्रतिफल राशि का अंतरणकर्ता द्वारा उपयोग के बारे में जानकारी करने का विधिक दायित्व क्रेता का होता है।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

51. इस संबंध में हिन्दू विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होनी आवश्यक है। हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत परिस्थितियों यथा *आपातकालेः—विधिक आवश्यकतार्थ* अंतरण कर सकता है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के सहदायिकी संपति के प्रबंधन/अंतरण के पश्चात ही कर्ता द्वारा अंतरण के विरूद्ध अन्य सहदायक को कर्ता द्वारा अंतरण को विधिक आवश्यकता नहीं होने के आधार पर अंतरण किए जाने के आधार पर ही कर्ता द्वारा किए गए अंतरण को निष्फल करवाने का विकल्प/उपचार उपलब्ध है।

52. प्रकरण में हिन्दू विधि की उक्त स्पष्ट स्थिति के आलोक में प्रकरण में उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 01, 05 द्वारा मुतनाजा आराजी का पंजीकृत बयनामा दिनांक 13.10.1999 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 19 को किया गया अंतरण अपने हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के रूप में निष्पादित किया गया है। अब प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01, 05 द्वारा मुतनाजा आराजी का पंजीकृत बयनामा दिनांक 13.10.1999 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 19 को किया गया अंतरण का विधिक आवश्यकता के आधार पर निष्पादित किये जाने के बारे में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

53. इस संबंध में प्रदर्श—02 पंजीबद्ध बयके अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या 01, 05 ने अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी पैतृक आराजी को बेचने का निर्णय लिया। विक्रेता कमलसिंह पुत्र खेतसिंह व चंद्रा देवी पत्नी खेतसिंह ने अपने परिवार की आवश्यकताओं हेतु रूपयों की जरूरत होने के लिए संपति का बेचान किए जाने बाबत् प्रदर्श—02 पंजीकृत बयनामा दिनांक 13.10.1999 में स्पष्ट अभिकथन किया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 19 को उक्त संपति के अंतरण हेतु विधिक आवश्कता की जानकारी होना प्रथमदृष्टया प्रमाणिक प्रतीत होता है। इस प्रकार मुतनाजा आराजी पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होने के बारे में क्रेता प्रतिवादी संख्या 19 द्वारा संपति के अंतरण में विधिक आवश्यकता निहित होने के बारे में अपने उपर आरोपित दायित्व की गई जानकारी के संबंध में किये गये उक्त कार्यकरण से प्रतीत होता है कि मुतनाजा आराजी पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होने के बारे में क्रेता प्रतिवादी संख्या 19 द्वारा संपति के अंतरण में विधिक आवश्यकता निहित होने के बारे में जानकारी कर अपने उपर आरोपित दायित्व को पूर्ण किया है। इस प्रकार मुतनाजा आराजी पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होने के बारे में क्रेता प्रतिवादी संख्या 19 द्वारा संपति के अंतरण में विधिक आवश्यकता निहित होने के बारे में अपने उपर आरोपित दायित्व का निर्वहन किया जाना साबित करने में सफल रहा है। इस प्रकार प्रतिवादी अपने उपर आरोपित तथ्य के प्रमाणन के भार (Onus of Proof) को निर्वहन करने में सफल रहा है। इससे प्रमाणन का भार (Onus of Proof) वादी के उपर स्थानांतरित होता है। इस संबंध में वादी के उपर आरोपित प्रमाणन का भार (Onus of Proof) को निर्वहन करने में प्रतिवादी असफल रहे है। इससे प्रमाणन का भार (Onus of Proof) वापस वादी के उपर स्थानांतरित नहीं होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

54. इस कारण प्रतिवादी संख्या 01, 05 द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता की हैसियत से प्रतिवादी संख्या 19 को पंजीकृत बयनामा दिनांक 13.10.1999 द्वारा मुतनाजा आराजी का परिवार की विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण को वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 पर बाध्यकारी है। यहां विधि की सुस्थापित स्थिति है कि किसी हिन्दु संयुक्त परिवार के कर्ता के द्वारा विधिक आवश्यकताओं के लिये सहदायिकी सम्पत्ति का अंतरण बालिग व नाबालिग सहदायकों पर बाध्यकारी होता है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 02–04 उक्त बैचान दिनांक 13.10.1999 के समय नाबालिग थे। इस पर भी उक्त अंतरण नाबालिग प्रतिवादियों पर बाध्यकारी है। इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 02–04 अपने बालिग होने के 03 वर्ष के अंतर्गत उक्त अंतरण को शून्यकरणीय होने के आधार पर चुनौती देने हेतु समर्थ रहे। परंतु प्रतिवादी संख्या 02–04 द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार वादीगण तनकी संख्या 02 को साबित (Burden of Proof) करने में असफल रहे है। इस कारण तनकी संख्या 02 वादीगण के विरूद्ध फैसल की जाती है।

55. उक्त तनकी संख्या 02 के साथ ही तनकी संख्या 06 का भी विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में मुतनाजा आराजी में खेतसिंह का 1/3 हिस्सा रहा है। उक्त मुतनाजा आराजी का कुल रकबा करीब 311 बीघा रहा है। उक्त कुल रकबा में से खेतसिंह का 1/3 हिस्सा अर्थात्त करीब 103 बीघा रहा है। उक्त खेतसिंह के 1/3 हिस्से के करीब 103 बीघा में वादीगण का 1/7–1/7 हिस्सा अर्थात्त करीब 14–14 बीघा कुल 28 बीघा हिस्सा बनता है। उक्त कुल रकबा में से खेतसिंह का 1/3 हिस्सा अर्थात्त करीब 103 बीघा में से प्रतिवादी संख्या 01–05 द्वारा करीब 36 बीघा आराजी का बैचान प्रतिवादी संख्या 19 के पक्ष में किया हुआ है। इस प्रकार वर्तमान में उक्त आराजी में से करीब 67 बीघा आराजी प्रतिवादी संख्या 01–05 के हिस्से में आती है। उक्त प्रतिवादी संख्या 01–05 के हिस्से की करीब 67 बीघा आराजी में से वादीगण के हक हिस्से की करीब 28 बीघा आराजी पर अधिकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 19 का उक्त 36 बीघा का अंतरण अप्रभावी प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 19 अपने प्रकरण को साबित करने में सफल रहा है। इस प्रकार उक्त तनकी संख्या 06 प्रतिवादी संख्या 19 के पक्ष में फैसल की जाती है।

56. प्रकरण में अब तनकी संख्या 05 पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण मे तनकी संख्या 05 निम्न प्रकार हैः–

> 5. आया प्रतिवादी संख्या 19 को किये गये बेचान का पंजीकृत दस्तावेज के प्रभाव में रहने के कारण वादीगण को खातेदारी अधिकार का दावा का श्रवण अधिकार न्यायालय को नहीं होने के कारण दावा काबिल–ए–खारिज है।
>
> ..... प्रतिवादी संख्या 19

57. प्रकरण में उक्त तनकी सहदायिकी संपत्ति में किये गये अंतरण को आरंभ से शुन्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने से संबंधित है। प्रकरण में तनकी संख्या 02 के वादीगण के विरूद्ध फैसल होने के कारण पृथक से विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में तनकी संख्या 05 के संबंध में उक्त विश्लेषण के पश्चात निष्कर्षतः वादी का दावा प्रतिवादी संख्या 01, 05 द्वारा विधिक आवश्यकता के लिए प्रतिवादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 19 को बेचान करने के कारण बेचान दिनांक 13.10.1999 के हद तक दावा वादी काबिल–ए–खारिज है। साथ ही तनकी संख्या 06 के संबंध में विधि की सुस्पष्ट स्थिति है कि खातेदारी अधिकारों की घोषणा के मुख्य अनुतोष के आनुषांगिक अनुतोष के रूप में किसी अंतरण के पंजीबद्ध दस्तावेज को आरंभ से शुन्य व निष्प्रभावी घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय में निहित है। इस आधार पर प्रतिवादी संख्या 19 उक्त तनकी संख्या 05 को साबित करने में असफल रहे है। उक्तानुसार तनकी संख्या 05 प्रतिवादी संख्या 19 के विरूद्ध फैसल की जाती है।

58. प्रकरण में अब तनकी संख्या 03 पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण मे तनकी संख्या 03 निम्न प्रकार हैः–

> 3. आया वादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत विधिक वारिश होने के आधार पर मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के आधार पर विरूद्ध प्रतिवादी मुताबिक वादपत्र वर्णित अनुतोष स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।
>
> .....वादी

59. प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि तनकी संख्या 03 स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित है। प्रकरण में उक्त तनकी के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः–

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

60. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा–188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः–

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

	हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

61. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में सशर्त स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादीगण का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादीगण की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादीगण का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। परंतु राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी होने से वादी के किसी निश्चित भू–भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में कथन किया जाना कानूनन अनुचित है। इस कारण मुतनाजा आराजी पर वादीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी होने के कारण वादीगण के किसी निश्चित भू–भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में संशय होने के कारण सुविधा व न्याय का संतुलन वादीगण के पक्ष में होना स्पष्ट नहीं है। अंत में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति साबित करने से पूर्व संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाया जाना अपरिहार्य शर्त है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाये बिना स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः तनकी संख्या 03 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

62. प्रकरण में अब तनकी संख्या 04 पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण मे तनकी संख्या 04 निम्न प्रकार हैः–

> 4. आया आया दावा वादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत विधिक वारिश नहीं होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष पोषणीय नहीं होने तथा आराजी पर प्रतिवादी का सालिम कब्जा होने के कारण स्थायी निषेधाज्ञा का प्रकरण नहीं बनने के कारण काबिल–ए–खारिज है।
>
> .....प्रतिवादी संख्या 19

63. प्रकरण में उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 19 पर है। प्रकरण में तनकी संख्या 01 के वादीगण के पक्ष में सशर्त स्वीकार होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के न्यागमन होने की स्थिति में खेतसिंह पुत्र मूलसिंह के प्रथम श्रेणी की वारिस वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01–05 को ही खेतसिंह पुत्र मूलसिंह का उक्त संपत्ति में 1/3 हिस्सा वादी के उपर न्यागत होना विधिसंगत है। अतः वादी के पिता खेतसिंह पुत्र मूलसिंह की सम्पत्ति में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01–05 के हित व अधिकार निहित हैं। यहां उल्लेखनीय है कि विधि की सुस्थापित स्थिति है कि किसी सम्पत्ति में निहित हकधारक तथा स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति का स्वमेव कब्जा माने जाने की उपधारणा मानी जाती है। इस प्रकार उक्त आराजी पर वादीगण के अधिकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

निहित होने पर कब्जा माने जाने की उपधारणा के विरूद्ध प्रतिवादीगण किसी प्रकार का खण्डन करने में असफल रहे हैं। प्रतिवादी ने केवल अपने जवाब के अभिवचनों में मुतनाजा आराजी पर वादीगण के कब्जा नहीं होने के अभिवचन किये गये हैं। परंतु केवल अभिवचन अपने आप ही साक्ष्य नहीं होते हैं। इसके लिये पक्षकार को साक्ष्य से अपने तथ्य को साबित करना होता है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 19 मुतनाजा आराजी पर वादीगण के कब्जे नहीं होने के बारे में कोई पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। इस प्रकार तनकी संख्या 04 प्रतिवादी संख्या 19 के विरूद्ध फैसल की जाती है।

64. निष्कर्षतः प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के न्यागमन होने की स्थिति में खेतसिंह पुत्र मूलसिंह के प्रथम श्रेणी की वारिस वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01–05 को ही खेतसिंह पुत्र मूलसिंह का उक्त संपत्ति में 1/3 हिस्सा वादी के उपर न्यागत होना विधिसंगत है। अतः वादी के पिता खेतसिंह पुत्र मूलसिंह की सम्पत्ति में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01–05 के हित व अधिकार निहित हैं। परंतु वादीगण प्रतिवादी संख्या 01–05 द्वारा मुतनाजा आराजी का पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 13.10.1999 के द्वारा करीब 36 बीघा भूमि के किये गये अंतरण को निरस्त करवाने के अधिकारी नहीं हैं। साथ ही वादीगण मुतनाजा आराजी पर अपने हिस्से की आराजी का बिना विधिक विभाजन करवाये स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01–05 द्वारा मुतनाजा आराजी का पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 13.10.1999 के द्वारा करीब 36 बीघा भूमि के किये गये अंतरण के अतिरिक्त शेष मुतनाजा आराजी में से वादीगण को कुल आराजी में निहित अपने 1/7–1/7 हिस्से की आराजी करीब 28 बीघा के खातेदारी अधिकार हेतु प्रतिवादी संख्या 01–05 के हिस्से की शेष आराजी में से प्राप्त करने हेतु अधिकारी घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत् इस्तक्करारहक, तकासमा मंजूर किया जाकर डिक्री इस कदर जारी की जाती है कि मुतनाजा आराजी में से प्रतिवादी संख्या 01–05 द्वारा पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 13.10.1999 के द्वारा करीब 36 बीघा भूमि के किये गये अंतरण को अप्रभावी रखते हुए शेष मुतनाजा आराजी में से वादीगण को कुल आराजी में निहित अपने 1/7–1/7 हिस्से की आराजी करीब 28 बीघा के खातेदारी अधिकार हेतु प्रतिवादी संख्या 01–05 के हिस्से की शेष आराजी में से प्राप्त करने हेतु अधिकारी घोषित किया जाता है। इसी प्रकार वादी के मुतनाजा आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के पश्चात मुतनाजा आराजी में वादी के घोषित हिस्से का

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करवाने हेतु अधिकारी घोषित किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 04.05.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2018 / 00025(21 / 2018) दर्ज तिथिः–26.03.2018

1. दरियाकंवर पुत्री खेतसिंह पत्नी भीमसिंह
   जाति राजपुत निवासी हाल रामसर तहसील रामसर जिला बाड़मेर।
2. मोहनकंवर पुत्री खेतसिंह पत्नी वीरसिंह
   जाति राजपुत निवासी हाल मीठड़ा तहसील बाड़मेर।

.....वादीगण

बनाम

1. कमलसिंह पुत्र खेतसिंह
2. भंवरसिंह पुत्र खेतसिंह
3. दिलीपसिंह पुत्र खेतसिंह
4. सोहनसिंह पुत्र खेतसिंह
5. चन्द्रा बेवा खेतसिंह
6. राणसिंह पुत्र रूपसिंह
7. पदमसिंह पुत्र भोमसिंह
8. अमरसिह पुत्र बगतसिंह
9. मोडसिंह पुत्र बगतसिंह
10. चुनी बेवा बगतसिंह
    जाति राजपुत निवासी मुसलमानों की ढाणी, मंगले की बेरी।
11. उम्मेदाराम पुत्र गुलाराम
12. खेताराम पुत्र रावताराम
13. सुजाराम पुत्र रावताराम
14. मानाराम पुत्र रावताराम
15. लिछी पत्नी रावताराम
16. भैराराम पुत्र पदमाराम
17. केशाराम पुत्र पदमाराम
18. हीरों पत्नी पदमाराम
19. रावताराम पुत्र अणदाराम
    जाति जाट निवासी मुसलमानों की ढाणी, मंगले की बेरी।

.....असल प्रतिवादीगण

20. प्रबन्धक ओ.एन.जी.सी.एल.
21. शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा सड़ा तहसील सिणधरी
22. शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 शाखा गुड़ामालानी
23. शाखा प्रबन्धक दि बाड़मेर सैन्ट्रल कॉ–ऑपरेटिव बैंक शाखा गुड़ामालानी
24. तहसीलदार गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री जगदीश विश्नोई
प्रतिवादीः—श्री डालुराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

वादी का दावा बाबत् इस्तक्करारहक, तकासमा मंजूर किया जाकर प्राथमिक डिक्री इस कदर जारी की जाती है कि मुतनाजा आराजी में से प्रतिवादी संख्या 01—05 द्वारा पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 13.10.1999 के द्वारा करीब 36 बीघा भूमि के किये गये अंतरण को अप्रभावी रखते हुए शेष मुतनाजा आराजी में से वादीगण को कुल आराजी में निहित अपने 1/7—1/7 हिस्से की आराजी करीब 28 बीघा के खातेदारी अधिकार हेतु प्रतिवादी संख्या 01—05 के हिस्से की शेष आराजी में से प्राप्त करने हेतु अधिकारी घोषित किया जाता है। इसी प्रकार वादी के मुतनाजा आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के पश्चात मुतनाजा आराजी में वादी के घोषित हिस्से का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करवाने हेतु अधिकारी घोषित किया जाता है।

यह पर्चा—डिक्री पालनार्थ हेतु संबंधित को तहरीर जारी की जावें। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा—डिक्री आज दिनांक 04.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

दरिया कंवर बनाम कमलसिंह
2018/00025
निर्णय दिनांकः—04.05.2026